Hindi

ऑस्ट्रेलिया में जीवन

© कॉमनवेल्थ ऑफ आस्ट्रेलिया 2007

इस सामग्री पर कॉपीराईट (प्रकाशनाधिकार) है।

कॉपीराईट एक्ट 1968 के अन्तर्गत दी गई अनुमति के अलावा इसके किसी भी भाग की कॉमनवेल्थ की अनुमति के बिना किसी भी प्रक्रिया से प्रतिकृति करना मना है।

प्रतिकृति की अनुमति अथवा अधिकार प्राप्त करने के बारे में प्रश्न और आवेदन इस पते पर भेजें:

Commonwealth Copyright Administration
Attorney General's Department
Robert Garran Offices, National Circuit,
Barton ACT 2600

अथवा इंटरनेट पर इस पते पर लिखें www.ag.gov.au/cca

ISBN 978 1 921446 42 9

प्रकाशित अक्तूबर 2007

यह प्रकाशन इंटरनेट पर इंगलिश और अनेक सामाजिक भाषाओं में उपलब्ध है।
इस प्रकाशन की प्रतियाँ www.immi.gov.au पर आॅर्डर की जा सकती हैं।

दुभाषिए का चिन्ह राष्ट्रीय सार्वजनिक सूचना का एक चिन्ह है जिसका विकास विक्टोरियन ऑफ़िस ऑफ़ मल्टीकल्चरल अफ़ेयर्स ने कॉमनवेल्थ, राज्य और राज्य-क्षेत्रों की सरकारों के साथ मिलकर किया है। यह चिन्ह यह सूचित करने की एक आसान विधि है कि अंग्रेज़ी भाषा में कम प्रवीणता रखने वाले लोग सरकारी सेवाओं का उपयोग करते समय भाषा संबंधी सहायता के लिए कहाँ पूछ सकते हैं।

आप इस चिन्ह को सरकारी और सामुदायिक सूचना तथा सेवाएं प्रदान करने वाले स्थानों जैसे कि सरकारी अस्पतालों, पुलिस स्टेशनों, सरकारी विद्यालयों, सामुदायिक केन्द्रों, आवास तथा रोज़गार कार्यालयों, स्थानीय कौंसिलों और माईग्रेंट रिसोर्स सेंटरों (आप्रवासियों के लिए संसाधन केन्द्रों) में देखेंगे।

दुभाषिए के चिन्ह की शुरुआत विक्टोरिया में औपचारिक रूप से मई 2006 में हुई।

विषय सूची

प्रस्तावना	1
आँस्ट्रेलियन जीवन मूल्यों संबंधी घोषणाएं	2
अस्थायी (प्रोविज़नल) और स्थायी वीज़ा के अभ्यर्थियों के लिए आँस्ट्रेलियन जीवन मूल्यों संबंधी घोषणा	2
टैम्परेरी वीज़ा के अभ्यर्थियों के लिए आँस्ट्रेलियन जीवन मूल्यों संबंधी घोषणा	3
आँस्ट्रेलियन जीवन मूल्य और सिद्धांत	4
आँस्ट्रेलिया – एक सरसरी नज़र	8
तथ्य और आँकड़े	10
राष्ट्रीय प्रतीक	11
राष्ट्र और इसके लोग	14
जलवायु	14
पर्यावरण	15
पहले आँस्ट्रेलियन	15
पहले यूरोपियन	16
एक राष्ट्र का जन्म	18
युद्ध का प्रभाव	19
समृद्धि और बदलाव	20
जो लोग आँस्ट्रेलिया को अपना देश मानते हैं	21
प्रजातंत्र और सरकार	22
आजकल का आँस्ट्रेलियन समाज	26
कानून और सामाजिक प्रथाएं	26
परिवारों की बदलती भूमिका	30
'आँस्ट्रेलियन' इंगलिश	32
समारोह और अवकाश के दिन	33
खेल, मनोरंजन और कला	35
विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियां पाने और नवीनता लाने वाले लोग	36
आँस्ट्रेलिया में रहन-सहन	37
रोज़गार और काम करने का वातावरण	37
आवास	38
सामाजिक सुरक्षा	39
अस्पताल और चिकित्सा के खर्चे	39
इंगलिश भाषा की कक्षाएं	40
दुभाषिए और अनुवाद संबंधी सहायता	41
शिक्षा	41
गाड़ी चलाने के लाईसैन्स	42
संपर्क की महत्त्वपूर्ण जानकारी	42
आँस्ट्रेलियन नागरिक बनना	43
नागरिकता के विशेषाधिकार	43
जिम्मेदारियाँ	43

प्रस्तावना

यह पुस्तिका उन लोगों के लिए है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थायी अथवा अस्थायी रूप से रहने के लिए वीज़ा पाने के लिए आवेदन दे रहे हैं। यह ऑस्ट्रेलिया, इसके इतिहास, रहन-सहन के तौर-तरीकों और हमारे साझे जीवन मूल्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देती है।

वीज़ा के आवेदन की प्रकिया के दौरान वीज़ा के अनेक आवेदकों के लिए यह पुष्टि करना अनिवार्य है कि वे ऑस्ट्रेलियन जीवन मूल्यों का आदर और ऑस्ट्रेलिया के कानूनों का पालन करेंगे।

ऑस्ट्रेलियन जीवन मूल्यों में हर व्यक्ति का बराबर महत्त्व है ऐसा समझ कर उसके गौरव और स्वतन्त्रता का आदर करना, विचारों को प्रकट करने की स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता और धर्मनिरपेक्ष सरकार, किसी गुट में शामिल होने की स्वतन्त्रता, पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी (संसदीय प्रजातंत्र) और विधि-पूर्व शासन के लिए समर्थन, कानून के अन्तर्गत सबके लिए बराबरी, पुरुषों और स्त्रियों में बराबरी, सबके लिए समान अवसर और शांति शामिल हैं। इनमें समनावाद की भावना भी शामिल है जो सबके लिए बराबरी, एक दूसरे के प्रति आदर, सहिष्णुता, ज़रुरतमंदों के प्रति दया और सार्वजनिक भलाई की भावना को अपनाती है।

यह समझ लेना भी महत्त्वपूर्ण है कि राष्ट्र-भाषा होने के नाते इंगलिश (अंग्रेज़ी) ऑस्ट्रेलियन समाज को एकीकृत करने वाला एक महत्त्वपूर्ण अवयव है।

जो लोग ऑस्ट्रेलिया में कुछ समय से रह रहे हैं उनके लिए भी यह पुस्तिका उपयोगी हो सकती है, विशेष रूप से जिन लोगों का काम आप्रवासियों से संबंधित है अथवा जिनके रिश्तेदार अथवा मित्र हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आए हैं।

ऑस्ट्रेलियन सरकार नए निवासियों को अपने नए देश, उसकी विरासत, भाषा, रीतियों, जीवन मूल्यों और तौर तरीकों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने और जब वे इसके पात्र हो जाएं तो शीघ्र ही नागरिकता के लिए आवेदन दे कर ऑस्ट्रेलियन समाज का एक अभिन्न अँग बनने के लिए बढ़ावा देती है।

यदि आप हाल ही में ऑस्ट्रेलिया आए हैं तो ऑस्ट्रेलिया में आपका स्वागत है। आप एक ऐसे देश में रहेंगे जो स्थिर, समृद्ध और प्रजानांत्रिक राष्ट्र है।

आप अनेक पृष्ठभूमियों के लोगों के एक सांस्कृतिक दृष्टि से विभिन्न लेकिन साझे जीवन मूल्यों और जिम्मेदारियों के द्वारा एकीकृत ऑस्ट्रेलियनों के समाज का एक अँग बनेंगे।

यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए

किसी भी विशिष्ट विषय पर अधिक जानकारी के लिए संबंधित वेबसाईट पर जाएं और इस पुस्तिका में जगह-जगह दी गई अन्य साधनों की जानकारी देखें।

ऑस्ट्रेलिया के रहन-सहन और काम करने के वातावरण के बारे में जानने के लिए Department of Immigration and Citizenship (DIAC) (डिपार्टमेंट ऑफ़ इम्मिग्रेशन एंड सिटिज़नशिप – डी आई ए सी) की वेबसाईट (www.immi.gov.au) के Living in Australia (लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया) भाग में जाऐं।

ऑस्ट्रेलिया में बसने के बारे में अधिक जानकारी के लिए *Beginning a Life in Australia (बिगिनिंग ए लाईफ इन ऑस्ट्रेलिया)* शृंखला की पुस्तिकाएं देखें जो डी आई ए सी की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं। ये पुस्तिकाएं इंगलिश और कई अन्य भाषाओं में उपलब्ध हैं और हर ऑस्ट्रेलियन राज्य और राज्य-क्षेत्र की अलग पुस्तिका है। उपयोगी स्थानीय जानकारी और संपर्कों की जानकारी के लिए जिस राज्य अथवा राज्य-क्षेत्र में आप रहेंगे उसकी पुस्तिका देखें।

यदि आप विदेश में मानवतावादी (शरणार्थी) कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं तो ऑस्ट्रेलिया में आने से पहले आपके लिए Australian Cultural Orientation Programme (AUSCO) (ऑस्ट्रेलियन कल्चरल ओरिएन्टेशन प्रोग्राम – ऑज़को) में भाग लेना लाभदायक होगा। यह कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया तक की यात्रा और यहाँ बसने संबंधी जानकारी देता है और एशिया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट (अरब की खाड़ी के देशों) में अनेक स्थानों पर उपलब्ध है।

इस पुस्तिका की अतिरिक्त प्रतियाँ डिपार्टमेंट ऑफ़ इम्मिग्रेशन एंड सिटिज़नशिप से निवेदन करके अथवा डिपार्टमेंट की वेबसाईट से प्राप्त की जा सकती हैं।

आॅस्ट्रेलियन जीवन मूल्यों संबंधी घोषणाएं (Australian Values Statements)

अस्थायी (प्रोविज़नल) और स्थायी वीज़ा के अभ्यर्थियों के लिए आॅस्ट्रेलियन जीवन मूल्यों संबंधी घोषणा

अस्थायी, स्थायी और कुछ प्रकार के अल्पकालिक (टैम्परेरी) वीज़ा के अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक है कि उन्होंने आॅस्ट्रेलियन सरकार द्वारा प्रदान की गई आॅस्ट्रेलिया में जीवन संबंधी सामग्री जो इस पुस्तिका में दी गई है, उसे पढ़ लिया हो अथवा किसी की मदद से उसे समझ लिया हो। इन अभ्यर्थियों को यह भी जान लेना चाहिए कि यदि वे बाद में आॅस्ट्रेलियन नागरिक बनने का आवेदन देते हैं तो उनसे क्या अपेक्षाएं होंगी। यह घोषणा सभी प्रभावित वीज़ा आवेदन पत्रों में शामिल है और 18 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के सभी अभ्यर्थियों को इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने होंगे।

आॅस्ट्रेलियन जीवन मूल्यों संबंधी घोषणा

यदि आपकी आयु 18 वर्ष अथवा इससे अधिक है तो आपके लिए इस घोषणा पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है:

मैं इस बात की पुष्टि करता / करती हूँ कि मैने आॅस्ट्रेलियन सरकार द्वारा प्रदान की गई आॅस्ट्रेलियन समाज और उसके जीवन मूल्यों संबंधी जानकारी पढ़ ली है अथवा किसी की मदद से समझ ली है।

मैं यह समझता / समझती हूँ कि:

- *आॅस्ट्रेलियन समाज व्यक्ति विशेष की स्वतंत्रता और गौरव का आदर, धार्मिक स्वतंत्रता, विधि-पूर्व शासन के लिए वचनबद्धता, पार्लियामैंटरी डेमोक्रेसी (संसदीय प्रजातंत्र), पुरुषों और स्त्रियों में बराबरी और समतावाद की भावना जो एक दूसरे के प्रति आदर, सहिष्णुता, सबके लिए बराबरी और जरुरतमंदों के प्रति दया की भावना और सार्वजनिक भलाई की ओर अग्रसर होने की कद्र करता है।*
- *आॅस्ट्रेलियन समाज हर व्यक्ति के लिए समान अवसरों को महत्त्व देता है चाहे उनकी नस्ल, धर्म अथवा जातीय पृष्ठभूमि कैसी भी हो।*
- *इंगलिश (अंग्रेजी भाषा) जो कि राष्ट्रीय भाषा है आॅस्ट्रेलियन समाज को एकीकृत करने वाला एक महत्त्वपूर्ण अवयव है।*

मैं आॅस्ट्रेलिया में रहते हुए आॅस्ट्रेलियन समाज के इन जीवन मूल्यों का आदर करने और आॅस्ट्रेलिया के कानूनों का पालन करने का वचन देता / देती हूँ।

यदि मैं आॅस्ट्रेलियन नागरिक बनने का आवेदन दूंगा / दूँगी तो मैं यह समझता / समझती हूँ कि:

- *आॅस्ट्रेलियन नागरिकता एक साझी पहचान और सभी आॅस्ट्रेलियन लोगों की विभिन्नता का आदर करते हुए उन्हें एक सूत्र में पिरोने वाला बंधन है।*
- *पारस्परिक विशेषाधिकार और जिम्मेदारियाँ आॅस्ट्रेलियन नागरिकता से जुड़ी हैं। आॅस्ट्रेलियन नागरिकों की जिम्मेदारियों में निर्वाचन में मतदान देने और जूरी में सेवा करने संबंधी कानूनों सहित आॅस्ट्रेलियन कानूनों का पालन करना शामिल है।*
- *यदि मैं आॅस्ट्रेलियन नागरिक बनने की कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करता / करती हूँ और मेरा आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं यह समझता / समझती हूँ कि मुझे आॅस्ट्रेलिया और इसके लोगों के प्रति वचनबद्धता की शपथ लेनी होगी।*

इंटरनैट के द्वारा जमा किए जाने वाले आवेदनों में मुख्य वीज़ा अभ्यर्थी को जीवन मूल्यों की घोषणा के लिए 'हाँ' अथवा 'नहीं' का बटन चुनने को कहा जाएगा। यदि आवेदन में 18 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के आश्रित व्यक्ति शामिल हैं तो घोषणा में निम्नलिखित अतिरिक्त अनुच्छेद (पैरा) शामिल होगा:

इस आवेदन में शामिल 18 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों ने मुझे सूचित किया है कि उन्होंने आॅस्ट्रेलियन सरकार द्वारा प्रदान की गई आॅस्ट्रेलियन समाज और उसके जीवन मूल्यों संबंधी सामग्री को पढ़ लिया है अथवा किसी की मदद से उसे समझ लिया है और वे उपरोक्त घोषणा से सहमत हैं।

इन परिस्थितियों में आवेदक अपने और अपने आश्रित व्यक्तियों की ओर से घोषणा करेंगे।

टैम्परेरी वीज़ा के अभ्यर्थियों के लिए ऑस्ट्रेलियन जीवन मूल्यों संबंधी घोषणा

ऑस्ट्रेलियन जीवन मूल्यों संबंधी घोषणा से प्रभावित टैम्परेरी वीज़ा के अभ्यर्थियों को भी एक घोषणा पर हस्ताक्षर करने होंगे। उनकी जीवन मूल्यों संबंधी घोषणा उनके आवेदन पत्र की आम घोषणा में शामिल होगी अतः आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने का अर्थ होगा कि उन्होंने जीवन मूल्यों संबंधी घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इन अभ्यर्थियों के लिए यह पुस्तिका पढ़ना अनिवार्य नहीं होगा परंतु यदि वे चाहें तो ऐसा कर सकते हैं।

टैम्परेरी वीज़ा के अधिकांश आवेदन पत्रों में ऑस्ट्रेलियन जीवन मूल्यों संबंधी निम्नलिखित घोषणा शामिल है:

मैं ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए इस आवेदन पत्र पर दर्शाए गए ऑस्ट्रेलियन समाज के जीवन मूल्यों का आदर करूँगा / करूँगी और ऑस्ट्रेलिया के कानूनों का पालन करूँगा / करूँगी।

इंटरनैट के अभ्यर्थियों के लिए घोषणा थोड़ी अलग होगी:

मैं ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए इस आवेदन के आरंभ में दिए गए ऑस्ट्रेलियन जीवन मूल्यों का आदर करूँगा / करूँगी और ऑस्ट्रेलिया के कानूनों का पालन करूँगा / करूँगी।

इंटरनैट के जिन आवेदनों में 18 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के आश्रित व्यक्ति शामिल हैं उनकी घोषणा में निम्नलिखित अतिरिक्त अनुच्छेद शामिल होगा:

इस आवेदन में शामिल 18 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के अन्य सभी व्यक्तियों ने मुझे सूचित किया है कि वे भी इस अपेक्षा से सहमत हैं।

आवेदकों को जीवन मूल्यों की घोषणा के लिए अपनी और सभी आश्रितों (यदि लागू हो) की ओर से 'हाँ' अथवा 'नहीं' का बटन चुनने को कहा जाएगा।

आॅस्ट्रेलियन जीवन मूल्य और सिद्धांत

एक स्थिर, शांत और समृद्ध समाज बनाए रखने के लिए सभी आस्ट्रेलियनों से, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो, यह अपेक्षा की जाती है कि वे आॅस्ट्रेलियन समाज के मूलभूत साझे सिद्धांतों और जीवन मूल्यों का आदर करेंगे।

ये जीवन मूल्य आस्ट्रेलिया के स्वतंत्र और प्रजातांत्रिक समाज का आधार हैं। इनमें शामिल हैं:

- हर व्यक्ति का बराबर महत्त्व है ऐसा समझ कर उसके गौरव और स्वतंत्रता का आदर करना
- विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता
- धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्ष सरकार
- किसी गुट में शामिल होने की स्वतंत्रता
- पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी (संसदीय प्रजातंत्र) और विधि-पूर्व शासन के लिए समर्थन
- कानून के अन्तर्गत सबके लिए बराबरी
- पुरुषों और स्त्रियों में समानता
- सबके लिए समान अवसर
- शांति
- समतावाद की भावना जो सहिष्णुता, एक दूसरे के प्रति आदर और ज़रुरतमंदों के प्रति दया की भावना को अपनाती है

हालाँकि ये जीवन मूल्य और सिद्धांत कुछ हद तक अन्य देशों द्वारा भी अपनाए गए हैं, आॅस्ट्रेलिया के अद्वितीय परिप्रेक्ष्य में इनका रूपान्तरण हुआ है और विश्व के हर भाग से आकर आॅस्ट्रेलिया में बसने वाले लाखों लोगों द्वारा इनका गढ़न और आधुनिकीकरण हुआ है। विभिन्न लोगों द्वारा इनकी अभिव्यक्ति अलग-अलग हो सकती है परंतु उनका आशय एक ही होता है।

आॅस्ट्रेलिया को सर्वप्रथम एबोरिजनल और टोरिस स्ट्रेट आयलैंड (टापू) के लोगों ने आबाद किया था जिनकी अद्वितीय संस्कृति और परंपराएं विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों और परंपराओं में से हैं। अधिकांश आरंभिक आप्रवासी ब्रिटेन और आयरलैंड से थे और इस एंगलो-केल्टिक विरासत ने आॅस्ट्रेलिया के इतिहास, संस्कृति और राजनीतिक परंपराओं पर अपनी गहरी और स्थायी छाप छोड़ी है। आप्रवासन के बाद के दौरों में अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और यूरोप के लोग यहाँ आए और उन सबने आॅस्ट्रेलिया और यहाँ के जीवन के तौर-तरीकों में अपना-अपना अनुपम योगदान दिया है।

साझे जीवन मूल्यों और सिद्धांतों के इस कथन का अर्थ सब पर समान धारणाओं को थोप कर उनको एक जैसा बनाना नहीं हैं। सच तो यह है कि आॅस्ट्रेलियन प्रजातंत्र व्यक्ति विशेष के स्वतंत्र रूप से सोचने और उसके अन्य लोगों से 'अलग' होने के अधिकार की नींव पर आधारित है।

यहाँ लक्ष्य यह है कि नए निवासियों को उन बुनियादी मूल्यों को समझने में सहायता की जाए जिन्होंने एक ऐसे समाज को बनाने में सहायता की है जो अडिग लेकिन प्रगतिशील है; एकीकृत लेकिन विविधता भरा है।

आॅस्ट्रेलिया में लोगों को अनेक स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। लेकिन इन स्वतंत्रताओं से लाभ प्राप्त करते हुए हर व्यक्ति द्वारा एक व्यवस्थित, स्वच्छंद और सुरक्षित समाज के लिए आस्ट्रेलिया की प्रजातांत्रिक विधि से चुनी गई सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना अनिवार्य है।

• मौलिक स्वतंत्रताएं

सभी आॅस्ट्रेलियनों को (कानून के दायरे में सीमित) अनेक मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है जिनमें विचारों को स्वतन्त्र रूप से खुले-आम प्रकट करने, संस्थाओं में शामिल होने, सभाओं का आयोजन करने, अपने चुने हुए धर्म का पालन करने और बिना किसी रोक-टोक के आॅस्ट्रेलिया में कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता शामिल हैं।

- ## हर व्यक्ति का बराबर महत्त्व है ऐसा समझ कर उनकी प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता का आदर करना ।

सभी ऑस्ट्रेलियन स्वतंत्र और बराबर हैं और उनसे एक-दूसरे के साथ प्रतिष्ठा और आदर के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है ।

Racial Discrimination Act 1975 (रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक्ट), Sex Discrimination Act 1984 (सैक्स डिस्क्रिमिनेशन एक्ट), Disability Discrimination Act 1992 (डिसएबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट) और *Age Discrimination Act 2004 (एज़ डिस्क्रिमिनेशन एक्ट)* के कॉमनवेल्थ (संघीय) कानून नस्ल, लिंग, अशक्तता और आयु के आधार पर सार्वजनिक जीवन के अनेक पहलूओं में भेद-भाव पर रोक लगाते हैं । एक Human Rights and Equal Opportunity Commission (ह्यूमन राईटस् एंड ईक्वल ओप्पोरच्यूनिटीज़ कमीशन) भी है जो इन कानूनों के अन्तर्गत की जाने वाली शिकायतों पर कार्रवाई करता है ।

ऑस्ट्रेलियन लोग समाज में होने वाले झगड़ों के समाधान के लिए हिंसा, डराने-धमकाने और अपमान के उपयोग को अस्वीकार करते हैं ।

इंटरनेट पर सूचना

ह्यूमन राईटस् एंड ईक्वल ओप्पोरच्यूनिटीज़ कमीशन www.hreoc.gov.au

- ## विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता

ऑस्ट्रेलिया की सरकारों अथवा किसी भी अन्य विषय या सामाजिक मुद्दे के बारे में सभी ऑस्ट्रेलियन अपने विचारों को मौखिक अथवा लिखित रूप में प्रकट करने के लिए स्वतन्त्र हैं बशर्ते कि ऐसा कानून के अन्तर्गत हो और इससे किसी व्यक्ति को किसी खतरे में न डाला जाए, उसकी बदनामी न की जाए और किसी अन्य व्यक्ति की विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता में बाधा उत्पन्न न हो ।

यह बात ऑस्ट्रेलियन समाचार-पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न और अन्य मीडिया पर भी लागू होती है । ऑस्ट्रेलियन लोगों को सरकार की कार्रवाईयों के प्रति विरोध प्रकट करने और कानून में बदली के लिए अभियान चलाने की स्वतन्त्रता उपलब्ध है ।

विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता लोगों को अपने विचारों और आशयों को प्रस्तुत करने का अवसर देती है । गलत जानकारी देकर अथवा झूठ बोल कर किसी व्यक्ति को बदनाम किए जाने के विरुद्ध कानून लागू हैं । दूसरों की संस्कृति, जाति अथवा पृष्ठभूमि के आधार पर उनके प्रति द्वेष पैदा करने के विरुद्ध भी कानून लागू हैं ।

- ## धार्मिक स्वतन्त्रता और धर्मनिरपेक्ष सरकार

सभी ऑस्ट्रेलियन अपने चुने हुए किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं बशर्ते कि ऐसा करते हुए वे किसी ऑस्ट्रेलियन कानून को न तोड़ें । ऑस्ट्रेलियन लोग किसी भी धर्म का पालन न करने के लिए भी स्वतन्त्र हैं । धार्मिक असहनशीलता ऑस्ट्रेलियन समाज में स्वीकार्य नहीं है ।

ऑस्ट्रेलिया की सरकार धर्मनिरपेक्ष है – यहाँ कोई सरकारी अथवा राजकीय धर्म नहीं है । सरकारें सभी नागरिकों के साथ समानता का बर्ताव करती हैं चाहे उनका कोई भी धर्म हो ।

धार्मिक कानून ऑस्ट्रेलिया में मान्य नहीं हैं और केवल पार्लियामेंट (संसद) द्वारा बनाए गए कानून लागू होते हैं, उदाहरण के लिए तलाक (विवाह-विच्छेद) के मामलों में । कुछ धार्मिक अथवा सांस्कृतिक परंपराएं जैसे कि द्विविवाह (एक से अधिक व्यक्ति से एक ही समय पर विवाहित होना) ऑस्ट्रेलिया में कानून के अन्तर्गत अवैध हैं ।

• किसी गुट में शामिल होने की स्वतंत्रता

ऑस्ट्रेलियन लोग एकत्रित होने और सरकार अथवा किसी अन्य संगठन के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए स्वतन्त्र हैं बशर्ते कि ऐसा शांतिपूर्वक और किसी व्यक्ति अथवा संपत्ति को नुकसान अथवा चोट पहुँचाए बिना किया जाए और कानून के अनुसार हो। संगठन में शामिल होने की स्वतंत्रता में किसी भी संगठन अथवा गुट का सदस्य बनने अथवा न बनने की स्वतन्त्रता शामिल है, बशर्ते कि ऐसा करना वैध है। इन संगठनों और गुटों में राजनीतिक पार्टियाँ, ट्रेड यूनियनें (श्रमिक संघ) और सामाजिक गुट शामिल हैं।

• पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी और विधि-पूर्व शासन के लिए समर्थन

ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी (संसदीय प्रजातंत्र) है जिसका अर्थ है कि ऑस्ट्रेलियन नागरिक देश को चलाने और समाज का प्रतिनिधित्व कैसे हो, इसके बारे में निर्णय लेने में भाग लेते हैं। सरकारें सभी ऑस्ट्रेलियनों के प्रति उत्तरदायी हैं। केवल निर्वाचित पार्लियामेंट ही वे निकाय हैं जो ऑस्ट्रेलिया के कानून बना सकती हैं अथवा कानून बनाने के प्राधिकार को अधिकृत कर सकती हैं।

ऑस्ट्रेलिया में सभी लोगों के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इसी तरह सभी ऑस्ट्रेलियनों को विधि-पूर्व शासन का संरक्षण प्राप्त है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति 'कानून से परे' नहीं है, भले ही वह अत्यधिक सामर्थ्यशाली पद पर हो जैसे कि राजनीतिज्ञ अथवा पुलिस।

• कानून के अन्तर्गत सबके लिए बराबरी

कानून के अन्तर्गत सभी ऑस्ट्रेलियन बराबर हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी नस्ल, जाति अथवा मूल देश; आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति अथवा अशक्तता; अथवा उसके राजनीतिक अथवा धार्मिक विचारों के आधार पर अन्य लोगों की तुलना में अलग व्यवहार नहीं होना चाहिए। सरकारी अभिकरणों और स्वतन्त्र न्यायालयों को सबके साथ न्यायसंगत व्यवहार करना चाहिए।

समान व्यवहार का अर्थ है कि नौकरी पाने अथवा पदोन्नति संबंधी निर्णय व्यक्ति की कुशलताओं, योग्यताओं और अनुभव के आधार पर लिए जाएं न कि उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अथवा राजनीतिक विचारों के आधार पर। इसका अर्थ यह भी है कि लोगों को उनकी नस्ल, चमड़ी के रंग, धर्म, लिंग अथवा वैवाहिक स्थिति के आधार पर किसी दुकान, होटल की अथवा अन्य सेवाएं देने से इंकार नहीं किया जा सकता।

• पुरुषों और स्त्रियों में बराबरी

ऑस्ट्रेलिया में पुरुषों और स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त हैं। नौकरियाँ और पेशे स्त्रियों और पुरुषों, दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध हैं। पुरुष और स्त्रियाँ, दोनों सेना में सेवा कर सकते हैं और सरकारी पद भी प्राप्त कर सकते हैं।

• सबके लिए समान अवसर और समतावाद की भावना

ऑस्ट्रेलियन लोग सबके लिए समान अवसर का आदर करते हैं और इसे अक्सर 'फ़ेयर गो' (भेद-भाव रहित अवसर) कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में किसी व्यक्ति की उपलब्धियाँ उसकी योग्यताओं, काम और प्रयत्न पर आधारित हों न कि जन्म के घटित होने अथवा पक्षपात के आधार पर।

आँस्ट्रेलियन लोगों में समनावाद की भावना है जो एक दूसरे के प्रति आदर की भावना, सहिष्णुता और बराबरी के व्यवहार को मान्यता देती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सब बराबर हैं अथवा सबको समान वैभव और संपत्ति मिले। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आँस्ट्रेलियन समाज में कोई औपचारिक श्रेणी संबंधी भेद–भाव न हों।

- ## शांति

  आँस्ट्रेलियन लोगों को अपने शांतिपूर्ण समाज पर गर्व है। उनकी यह धारणा है कि बदलाव बातचीत, शांतिपूर्ण प्रबोधन और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से आना चाहिए। वे हिंसा द्वारा लोगों की धारणाओं अथवा कानून में बदलाव को अस्वीकार करते हैं।

उपरोक्त जीवन मूल्यों के अलावा आँस्ट्रेलियन लोग सार्वजनिक भलाई और जरूरतमंदों के प्रति दया की भावना रखते हैं।

आँस्ट्रेलिया में जबर्दस्त सामाजिक भावना है और आँस्ट्रेलियन लोग जिस समाज में रहते हैं उसके उत्थान और उन्नति का प्रयत्न करते हैं।

समाज में योगदान देना अनेक आँस्ट्रेलियन लोगों की दिनचर्या का एक हिस्सा है। वे ऐसा पर्यावरण की देख–भाल, किसी की सहायता और आवश्यकता पड़ने पर सार्वजनिक भलाई के लिए मिल कर कार्य करने के द्वारा कर सकते हैं।

आँस्ट्रेलिया में 'mateship' ('मेटशिप') अर्थात स्वेच्छा से दूसरों की, विशेष रूप से जो लोग परेशानी में हैं उनकी सहायता करने की प्रबल परंपरा है। मेट (सहायता देने वाला व्यक्ति) अक्सर कोई मित्र होता है परंतु वह पति, पत्नी, सहभागी, भाई, बहिन, बेटी अथवा बेटा भी हो सकता है। मेट कोई बिल्कुल अन्जान व्यक्ति भी हो सकता है। सामाजिक सेवा और स्वयंसेवा की भी प्रबल परंपरा है।

आँस्ट्रेलियनों द्वारा उपरोक्त जीवन मूल्यों को वर्षों से बढावा दिया गया है और उन पर चर्चा की गई है। इन जीवन मूल्यों ने आँस्ट्रेलिया को विभिन्न जातियों और सांस्कृतिक परंपराओं के लाखों लोगों का सफलता से स्वागत और समावेश करने में सहायता दी है।

आँस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक विविधता एक ऐसी शक्ति है जो इसे प्रगतिशील बनाती है। सभी आँस्ट्रेलियनों को अपनी संस्कृति और मान्यताओं को व्यक्त करने का अधिकार है बशर्ते कि यह विधानों के अनुसार हो।

लेकिन इसके साथ ही सभी आँस्ट्रेलियनों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आँस्ट्रेलिया, इसके कानूनों, जीवन मूल्यों और लोगों के प्रति वचनबद्धता को सर्वोच्च प्रमुखता दें।

ऑस्ट्रेलिया – एक सरसरी नज़र

भूगोल

ऑस्ट्रेलिया विश्व के सबसे प्राचीन भू–खंडों में से एक है। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा आबाद द्वीप और क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में छठे नंबर पर है। यह सबसे शुष्क क्षेत्रों में से भी एक है और इसकी केवल 6 प्रतिशत भूमि ही खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है।

दूरियाँ बहुत बड़ी हैं और आगन्तुक अक्सर देश के आकार और एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करने में लगने वाले समय से दंग रह जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया पूर्व से पश्चिम की ओर 4,000 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 3,700 किलोमीटर तक फैला है। सिडनी से पर्थ की उड़ान में लगभग पाँच घंटे लगते हैं।

कुल क्षेत्रफल के आधार पर ऑस्ट्रेलिया अमेरिका (अलास्का को छोड़ कर) के लगभग बराबर, भारत के आकार के दुगुने से अधिक और यूनाईटिड किंगडम के आकार से 32 गुना बड़ा है।

लोग

ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, एबोरिजनल और टोरिस स्ट्रेट आयलैंडर लोग ऑस्ट्रेलिया में कम से कम 40,000 वर्षों से और शायद 60,000 वर्षों से रह रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले बाकी लोग आप्रवासी हैं अथवा 1788 में यूरोपियन कालोनियों की शुरुआत के समय से आने वाले लगभग 200 देशों के आप्रवासियों के वंशज हैं।

वर्ष 1945 में ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या लगभग सत्तर लाख थी। तब से लेकर लगभग 6,75,000 शरणार्थियों सहित 65 लाख से अधिक आप्रवासी ऑस्ट्रेलिया में बस चुके हैं।

आज ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.1 करोड़ है जिसमें 43 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो या तो स्वयं विदेश में जन्मे थे अथवा उनके माता–पिता में से कम से कम एक का जन्म विदेश में हुआ था।

सभी धर्मों, नस्लों, जातियों और सामाजिक पृष्ठभूमियों के लोग ऑस्ट्रेलिया में शांतिपूर्वक मिल–जुल कर रहते हैं।

साझे जीवन मूल्य

हालांकि ऑस्ट्रेलिया के आप्रवासी अनेक अलग–अलग संस्कृतियों और धार्मिक पृष्ठभूमियों से आए हैं, वे ऑस्ट्रेलिया में सफलता पूर्वक बस गए हैं और विस्तृत समाज में समाविष्ट हो गए हैं। दूसरी ओर, उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक योगदान से ऑस्ट्रेलिया समृद्ध हुआ है।

आज के ऑस्ट्रेलियन समाज की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता न केवल इसके निवासियों की सांस्कृतिक विविधता है बल्कि ऑस्ट्रेलिया के प्रति उनकी सर्वोच्च और एकीकृत करने वाली वचनबद्धता है। ऑस्ट्रेलिया के लोग अपने पड़ोसियों के साथ मिल कर रहने को प्राथमिकता देने के लिए व्यक्तिगत मतभेदों को भुला देते हैं।

सभी ऑस्ट्रेलियनों को अपनी संस्कृति और मान्यताओं को व्यक्त करने और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय जीवन में पूर्ण रूप से भाग लेने का अधिकार है बशर्ते कि वह कानून के दायरे में हो। साथ ही सब लोगों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस पुस्तिका की प्रस्तावना में दिए गए ऑस्ट्रेलिया की जीवन शैली का समर्थन करने वाले सिद्धांतों और साझे जीवन मूल्यों का अनुमोदन करेंगे।

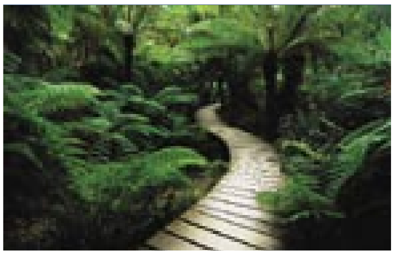

एक स्वतंत्र देश

ऑस्ट्रेलिया एक स्वतंत्र और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था वाला बहिर्मुखी राष्ट्र है। इसके प्रजातांत्रिक संस्थान, सांस्कृतिक विविधता और रचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय सहयोग का इतिहास वैश्विक मामलों में इसकी सक्रियता को दर्शाते हैं।

लगातार बदल रहे चुनौती भरे अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों को निभाते हुए ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय समरनीतियों के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाता है।

सुदृढ़ अर्थव्यवस्था

ऑस्ट्रेलिया में बाजार (प्रतियोगिता) पर आधारित एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था है जो निर्बाध, लचीली और प्रतियोगात्मक है। यह एक स्थायी और आधुनिक संगठनात्मक ढाँचे पर आधारित है जो व्यापारियों को निश्चितता और अंतर्राष्ट्रीय निवेश का स्वागत करने का वातावरण प्रदान करती है।

ऑस्ट्रेलिया वित्त का एक मुख्य क्षेत्रीय केंद्र भी है जिसका घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन तंत्र भरोसेमंद है, सूचना और दूरसंचार की प्रौद्योगिकी विश्व स्तर की है, श्रमिक बल बहुभाषीय और अत्यधिक कुशल है और एक कुशल नियंत्रण पद्धति है। पूंजी निवेश के आधार पर ऑस्ट्रेलिया का स्टॉक एक्सचेंज (सट्टा बाजार) विश्व में आठवें स्थान पर है।

विश्व व्यापार में ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा हिस्सा है और इसके माल और सेवाओं का आयात–निर्यात $400 अरब से अधिक है जो कि कुल विश्व व्यापार का लगभग 1 प्रतिशत है। जापान ऑस्ट्रेलिया के व्यापार में सबसे बड़ा सहभागी है, इसके बाद आते हैं चीन, अमेरिका, सिंगापुर, ब्रिटेन और रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया।

इंटरनेट पर जानकारी के लिए

- ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ़ स्टेटिस्टिक्स www.abs.gov.au
- ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसिज़ www.australia.gov.au
- ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रिक्रिएशन एंड कल्चरल पोर्टल www.cultureandrecreation.gov.au
- डिपार्टमेंट ऑफ़ फौरन अफ़ेयर्स एंड ट्रेड www.dfat.gov.au/geo/australia

तथ्य और आँकड़े

राष्ट्रीय राजधानी	कैनबरा
क्षेत्रफल महाद्वीप के समुद्र-तट का परिमाप टापुओं सहित महाद्वीप के समुद्र-तट का परिमाप	77.4 लाख वर्ग किलोमीटर 35,877 किलोमीटर 59,736 किलोमीटर
कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत	6 प्रतिशत
जनसंख्या	2.1 करोड़
विदेश में जन्मे लोगों का अनुपात	लगभग 22 प्रतिशत
भाषा	इंगलिश
घर में दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत	15 प्रतिशत
मुद्रा	ऑस्ट्रेलियन डॉलर (A$)
व्यापार में मुख्य सहभागी	जापान, चीन, अमेरिका, सिंगापुर, ब्रिटेन, रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया
श्रमबल	1.028 करोड़
समय – ऑस्ट्रेलिया में तीन समय क्षेत्र हैं डे लाईट सेविंग (दिन की रोशनी की बचत) (मानक समय +1)	पूर्वीः जी एम टी +10 मध्यः जी एम टी +9.5 पश्चिमीः जी एम टी +8 डे लाईट सेविंग का समय न्यू साउथ वेल्स, साउथ (दक्षिणी) ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, विक्टोरिया और वैस्टर्न (पश्चिमी) ऑस्ट्रेलिया में अक्तूबर के आरंभ अथवा अंत से मार्च के अंत तक लागू होता है।
महत्त्वपूर्ण तिथियाँ	
राष्ट्रीय दिवस – ऑस्ट्रेलिया डे	26 जनवरी
ईस्टर	हर वर्ष मार्च के अंत से अप्रैल के अंत के बीच में
एंजैक डे	25 अप्रैल
रिमैम्बरैंस डे (श्रद्धांजलि दिवस)	11 नवंबर
क्रिसमस डे (बड़ा दिन)	25 दिसंबर

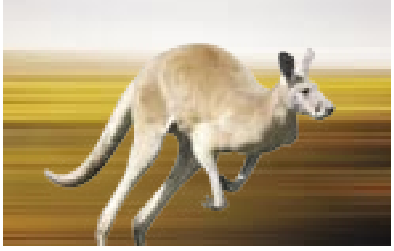

राष्ट्रीय प्रतीक

ऑस्ट्रेलिया का नाम

ऑस्ट्रेलिया के नाम का उद्‌गम लैटिन शब्द *ऑस्ट्रेलिस* से हुआ है जिसका अर्थ है 'दक्षिण का'। सदियों से यह दंतकथा प्रचलित थी कि दक्षिण में एक अज्ञात महान भूमि है – *टैरा ऑस्ट्रेलिस इन्कोग्निटा* (अज्ञात प्रदेश ऑस्ट्रेलिस)। इस क्षेत्र की खोज के अभियानों की जानकारी में इसी वर्णन का इस्तेमाल किया गया था।

इस महाद्वीप के जहाज द्वारा परिभ्रमण की जानकारी मैथ्यू फ्लिंडरस् की पुस्तक *ए वॉयेज़ टु टैरा ऑस्ट्रेलिस, जिसमें उसने ऑस्ट्रेलिया* नाम इस्तेमाल किया था, के 1814 में प्रकाशन के बाद ऑस्ट्रेलिया नाम लोकप्रिय हो गया। बाद में गवर्नर लैकलैन मैक्वारी ने अपनी सरकारी रिपोर्टों में यह नाम इस्तेमाल किया और इसे अपनाने की सिफ़ारिश की। सन् 1824 में ब्रिटिश नौसेना ने औपचारिक रूप से इस महाद्वीप का नाम ऑस्ट्रेलिया रखने की अनुमति दे दी।

ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय झंडा

ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय झंडा पहली बार मेल्बर्न में 3 सितंबर 1901 को फहराया गया। झंडे की पृष्ठभूमि गहरे नीले रंग की है, यूनियन जैक (ब्रिटेन का झंडा) इसके ऊपरी बाएं कोने में है जो ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटेन के लोगों के बसने के इतिहास को मान्यता देता है।

सदर्न क्रॉस नक्षत्रमंडल के पाँच सितारे दक्षिणी गोलार्द्ध में ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक स्थिति को दर्शाते हैं। सन् 1908 में छह राज्यों के प्रतीक छह कोने वाले सितारे के स्थान पर सात कोने वाला सितारा अपनाया गया, सातवां कोना दो राज्य-क्षेत्रों का प्रतीक है।

ऑस्ट्रेलिया के हर राज्य और राज्य-क्षेत्र का अपना-अपना झंडा भी है।

कॉमनवेल्थ कोट ऑफ आर्मस् (वंश चिन्ह)

कॉमनवेल्थ कोट ऑफ आर्मस् जिसका इस्तेमाल संघ सरकार की प्रभुत्ता को जताने और उसकी संपत्ति की पहचान के लिए किया जाता है, उसको 1912 में किंग जार्ज (पाँचवें) ने स्वीकृत किया था। इसमें छह ऑस्ट्रेलियन राज्यों के बिल्लों को दर्शाने वाली एक शील्ड (ढाल) है जो संघ का चिन्ह है। इसके डिज़ाईन में गोल्डन वॉटल (ऑस्ट्रेलिया का फूल का चिन्ह), कंगारू और ईमु शामिल हैं।

राष्ट्रीय रंग

हरा और सुनहरी रंग अप्रैल 1984 से ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय रंग रहे हैं।

फूल का प्रतीक

गोल्डन (सुनहरी) वॉटल, *एकेसिया पिक्नैंथा*, अगस्त 1988 से ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय फूल का प्रतीक रहा है।

राष्ट्रीय नगीना

ओपल (रंग बदलने वाला बिल्लौर पत्थर) 1993 में ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय नगीना घोषित किया गया।

पशु प्रतीक

अनेक लोग कंगारू को ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु प्रतीक मानते हैं लेकिन सरकारी तौर पर ऐसी घोषणा कभी नहीं की गई।

राष्ट्रीय दिवस

ऑस्ट्रेलिया दिवस हर वर्ष 26 जनवरी को गवर्नर आर्थर फ़िलिप के 1788 में सिडनी कोव में जहाज से आने की वर्षगाँठ के स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जाता है।

राष्ट्र गान

Advance Australia Fair (एडवांस ऑस्ट्रेलिया फ़ेयर) की रचना 1878 में पीटर डॉडस् मैकॉर्मिक ने की थी और यह 1970 के दशक के बाद के वर्षों में राष्ट्रीय धुन बन गया। अप्रैल 1984 में इसे ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्र गान घोषित किया गया।

इसके बोल हैं:

Australians all let us rejoice,
For we are young and free;
We've golden soil and wealth for toil;
Our home is girt by sea;
Our land abounds in nature's gifts
Of beauty rich and rare;
In history's page, let every stage
Advance Australia Fair.
In joyful strains then let us sing,
Advance Australia Fair.

Beneath our radiant Southern Cross
We'll toil with hearts and hands;
To make this Commonwealth of ours
Renowned of all the lands;
For those who've come across the seas
We've boundless plains to share;
With courage let us all combine
To Advance Australia Fair.
In joyful strains then let us sing,
Advance Australia Fair.

ऑस्ट्रेलिया के सम्मान और पुरस्कार

राष्ट्र अथवा मानवता के प्रति सेवा को मान्यता देने के लिए Order of Australia (ऑर्डर ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया), Australian Bravery Decorations (ऑस्ट्रेलियन शौर्य पुरस्कारों) और National Medal (राष्ट्रीय मैडल) की शुरुआत से 1975 में ऑस्ट्रेलिया में सम्मानित किए जाने की एक विशिष्ट प्रणाली आरंभ हुई।

ऑस्ट्रेलिया की सम्मान प्रणाली भेद-भाव और राजनैतिक प्रभाव से मुक्त है। समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी ऑस्ट्रेलियन नागरिक को सम्मान के लिए मनोनीत कर सकता है। एक स्वच्छंद कौंसिल इस पर निर्णय लेती है।

यह सम्मान आदर्श व्यक्तियों की पहचान के द्वारा राष्ट्रीय अभिलाषाओं, आदर्शों और मानदंडों को निश्चित करने, उन्हें प्रोत्साहित और सुदृढ़ करने में मदद देते हैं। जिन लोगों ने कुछ अंतर लाने में योगदान दिया है, अपना पूरा जोर लगाया है और जिन्होंने दूसरों की सेवा की है उन्हें मान्यता देने, उनकी उपलब्धियों का उत्सव मनाने और उनका धन्यवाद देने के लिए ऑस्ट्रेलिया उनका सम्मान करता है।

इंटरनेट पर जानकारी के लिए

- ऑस्ट्रेलियन ऑनरस्, एवार्डस् एंड सिम्बलस् www.itsanhonour.gov.au
- डिपार्टमेंट ऑफ़ दि प्राईम मिनिस्टर एंड कैबिनेट www.dpmc.gov.au

DARWIN
NORTHERN TERRITORY
QUEENSLAND
WESTERN AUSTRALIA
BRISBANE
SOUTH AUSTRALIA
NEW SOUTH WALES
PERTH
SYDNEY
ADELAIDE
CANBERRA
ACT
VICTORIA
MELBOURNE
TASMANIA
HOBART

राष्ट्र और इसके लोग

आॅस्ट्रेलिया की भूमि अनुपम और विषमताओं से भरपूर है ।

आॅस्ट्रेलिया के दूर–दराज़ के इलाके जिन्हें अक्सर 'outback' 'आॅउटबैक' के नाम से जाना जाता है, आॅस्ट्रेलिया के इतिहास और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं ।

इसके बावजूद आॅस्ट्रेलिया की 2.1 करोड़ जनसंखा में से 75 प्रतिशत से अधिक शहरों में रहते हैं, विशेष रूप से पूर्वी समुद्र तट के उपजाऊ मैदानी इलाकों और दक्षिण–पूर्वी समुद्र तट के आस पास बसी राजधानियों में ।

आॅस्ट्रेलिया को अक्सर एक 'युवा' राष्ट्र माना जाता है परंतु संभावित जीवन–काल में लगातार वृद्धि के कारण विश्व के अनेक अन्य देशों की भाँति इसकी आबादी भी अधिक आयु वाली होती जा रही है । पैंसठ वर्ष और इससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 2005 में जनसंख्या का 13.1 प्रतिशत थी; ऐसा अनुमान है कि 2050 में यह 25.7 प्रतिशत हो जाएगी ।

राज्यों और राज्य–क्षेत्रों में आॅस्ट्रेलिया की आबादी कहाँ बसी है

राज्य / राज्य–क्षेत्र	जनसंख्या (लाख)	राजधानी	राजधानी की जनसंख्या (लाख)
न्यू साॅउथ वेल्स्	65.5	सिडनी	41.2
विक्टोरिया	49.3	मेल्बर्न	35.9
क्वीन्स्लैंड	39.0	ब्रिसबेन	17.6
वैस्टर्न आॅस्ट्रेलिया	19.6	पर्थ	14.5
साउथ आॅस्ट्रेलिया	15.1	एडिलेड	11.1
तस्मानिया	4.8	होबाट	2.0
आॅस्ट्रेलियन कैपिटल टैरिटरी	3.2	कैनबरा	0,32
नाॅर्दन टैरिटरी	1.9	डार्विन	1.1

(स्रोतः आॅस्ट्रेलियन ब्यूरो आॅफ़ स्टेटिस्टिक्स)

जलवायु

आॅस्ट्रेलिया विश्व के सबसे सूखे देशों में से एक है । इसकी भीतरी भूमि अधिकाँश रूप से समतल, बंजर और बहुत कम आबादी वाली है ।

इसके बावजूद, नाॅर्दन आॅस्ट्रेलिया के अधिकांश भाग की जलवायु उष्णदेशीय है । क्वीन्स्लैंड के कुछ भागों, वैस्टर्न आॅस्ट्रेलिया और नाॅर्दन टैरिटरी में वर्षा ऋतु में जनवरी से मार्च तक मानसून जैसी बरसात होती है ।

वास्तव में आॅस्ट्रेलिया इतना बड़ा है कि यहाँ जलवायु की अधिकांश परिस्थितियाँ, बर्फ़ और पाले से लेकर झुलसानी गर्मी तक महसूस की जाती हैं ।

सबसे ठंडे इलाके तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण-पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों में हैं। सबसे गर्म इलाके महाद्वीप के मध्य पश्चिमी क्षेत्र में हैं।

ऑस्ट्रेलिया में ऋतुएं उत्तरी गोलार्द्ध से बिल्कुल उल्टी हैं। ग्रीष्म ऋतु दिसम्बर से फरवरी, पतझड़ मार्च से मई, शीत ऋतु जून से अगस्त और बसंत सितम्बर से नवम्बर तक होती हैं।

जुलाई माह का औसत तापमान सबसे कम होता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भागों में अधिकांश स्थानों में दिन का औसत तापमान 10 से 20 डिग्री सेल्सियस (50 से 68 डिग्री फ़ारेनहाईट) और उत्तरी उष्णदेशीय भागों में 25 से 35 डिग्री सेल्सियस (70 से 90 डिग्री फ़ारेनहाईट) तक होता है। तटीय इलाकों में तापमान विरले ही इतना गिरता है कि बर्फ जम जाए लेकिन भीतर के अनेक भागों में सर्दियों की रातों में हल्का पाला पड़ता है। पहाड़ी इलाकों में अक्सर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस (32 डिग्री फ़ारेनहाईट) से कम हो जाता है और 1500 मीटर से ऊँचे स्थानों पर वर्ष में कई महीनें के लिए बर्फ जमी रहती है।

ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भागों में जनवरी और फरवरी सबसे गर्म मास होते हैं जबकि उष्णदेशीय भागों में नवम्बर और दिसम्बर अत्यधिक गर्म होते हैं। अधिकांश भीतरी इलाकों में दिन का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक (80 से 99 डिग्री फ़ारेनहाईट) होता है और वैस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में 40 डिग्री सेल्सियस (104 डिग्री फ़ारेनहाईट) के आस-पास होता है। दक्षिणी समुद्र तटों, पहाड़ी इलाकों और तस्मानिया में दिन थोड़े ठंडे होते हैं (20 से 30 डिग्री सेल्सियस – 70 से 90 डिग्री फ़ारेनहाईट)।

इंटरनेट पर जानकारी के लिए

- ब्यूरो ऑफ़ मीटरियोलॉजी (मौसम विभाग) www.bom.gov.au

पर्यावरण

ऑस्ट्रेलिया के भूदृश्य में अत्यधिक विभिन्नता और असाधारण वनस्पतियों और जीव-जंतुओं का जमघट है। हम अपने वातावरण तथा समृद्ध और अनुपम जैव-विविधता की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति वचनबद्ध है।

ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का 10 प्रतिशत से अधिक इलाका – लगभग 7 करोड़ 7 लाख हेक्टेयर – संरक्षित क्षेत्र है। इसके अलावा 6 करोड़ 5 लाख हेक्टेयर समुद्री इलाका भी संरक्षित क्षेत्र है जिसमें उत्तरी क्वीन्सलैंड के समुद्र तट के आगे स्थित ग्रेट बैरियर रीफ़ मेरीन पार्क शामिल है।

ऑस्ट्रेलिया के सत्रह क्षेत्र विश्व की विरासत सूची में हैं जिनमें ग्रेट बैरियर रीफ़, तस्मानियन वाईल्डरनैस (बीहड़), दि वेट ट्रॉपिक्स् ऑफ़ क्वीन्सलैंड (क्वीन्सलैंड के बरसाती उष्ण प्रदेश), काकाडू नेशनल पार्क, नॉर्दन टैरिटरी में स्थित उलुरु-कटा यूटा नेशनल पार्क, लॉर्ड होई आयलैंड ग्रुप और सेन्ट्रल ईस्टर्न रेनफ़ॉरेस्ट रिज़र्व ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।

इंटरनेट पर जानकारी के लिए

- डिपार्टमेंट ऑफ़ दि एनवायरनमेंट एंड वाटर रिसोर्सिज़ www.environment.gov.au

पहले ऑस्ट्रेलियन

ऑस्ट्रेलिया के सर्वप्रथम निवासी थे एबोरिजनल और टोरिस स्ट्रेट आयलैंडर लोग जो ऑस्ट्रेलिया में कम से कम 40,000 वर्ष पहले और शायद 60,000 वर्ष पहले बस गए थे।

यह अनुमान लगाया गया है कि 1788 में पहले यूरोपियनों के आने से पहले ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप के अधिकांश इलाकों में लगभग 7,50,000 मूल निवासी बसे हुए थे।

मूल निवासियों की अपनी विशिष्ट धार्मिक धारणाएं, भूमि के प्रति अत्यधिक आदर का भाव, एक समृद्ध परंतु विविधता भरी संस्कृति और कला की चलती आ रही परंपरा थी जो विश्व की प्राचीनतम परंपराओं मे से एक थी।

उनकी जीवनशैली, सांस्कृतिक परंपराएं और भाषाएं उनके रहने के स्थान के आधार पर अलग-अलग थीं। यूरोपियनों के यहाँ बसने की शुरूआत के समय मूल ऑस्ट्रेलियनों द्वारा लगभग 700 भाषाएं और बोलियाँ बोली जाती थीं।

यूरोपियनों के ऑस्ट्रेलिया में बसने से पहले ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों का समुद्री यात्रियों और व्यापारियों से थोड़े-बहुत संपर्क के अलावा बाकी मानवता से संपर्क लगभग नहीं के बराबर था।

ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों और यूरोपियनों के बीच संपर्क की शुरुआत से परंपरागत जीवनशैली और प्रथाओं में बाधा आयी और 19वीं सदी में तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में मूल निवासियों की जनसंख्या में भारी गिरावट आई।

1960 के दशक तक ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की संस्कृति और इतिहास की मान्यता और उनके नागरिकता के अधिकार और जिम्मेदारियां लगभग नगण्य थे। उदाहरण के लिए, 1965 तक उन्हें फैडरल चुनावों में वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था।

लेकिन 1967 में हुए एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह में 90 प्रतिशत से अधिक ऑस्ट्रेलियन लोगों ने ऑस्ट्रेलियन सरकार को मूल निवासियों संबंधी कानून बनाने का अधिकार देने और राष्ट्रीय जनगणना में उन्हें शामिल करने का समर्थन किया। जनमत संग्रह के इस परिणाम के पीछे मूल निवासियों और अन्य ऑस्ट्रेलियनों द्वारा चलाए गए एक तीव्र अभियान का हाथ था। व्यापक रूप से यह माना गया कि ऐसा करके ऑस्ट्रेलियन लोगों ने ऑस्ट्रेलियन सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की जीवन स्थिति में सुधार लाने के लिए सीधी कार्रवाई किए जाने की अपनी तीव्र इच्छा व्यक्त की।

ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की वर्तमान जनसंख्या का अनुमान लगभग 4,83,000 के आस-पास है – अर्थात कुल जनसंख्या का 2.3 प्रतिशत । मूल निवासियों की संस्कृतियां ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय पहचान का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं और एबोरिजनल और टोरिस स्ट्रेट आयलैंडर लोग कला, मीडिया, शिक्षा, खेल और व्यवसाय सहित कई क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

मूल निवासियों के समुदायों की सहायता करने और कुछ क्षेत्रों में अभी भी जो विषमता है उसे दूर करने के लिए बनाए जाने वाले कार्यक्रमों और नीतियों का निरीक्षण ऑस्ट्रेलियन सरकार करती है। इन कार्यक्रमों में स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और रोज़गार के अवसरों में सुधार लाना शामिल हैं।

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए भी वचनबद्ध है कि भूमि के जिन भागों से मूल निवासियों के लगातार पारंपरिक संबंध रहे हैं अथवा जो उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में सहायता दे सकते हैं, वे उनके मालिक हों अथवा उनकी उन तक पहुँच हो। ऑस्ट्रेलिया की भूमि का लगभग 16 प्रतिशत भाग मूल निवासियों के स्वामित्व में है अथवा उस पर उनका नियंत्रण है। यह भूमि मुख्य रूप से दूर-दराज़ के क्षेत्रों में है।

इंटरनेट पर जानकारी के लिए

- डिपार्टमेंट ऑफ़ फैमिलीज़, कम्युनिटी सर्विसिज़ एंड इंडिजनस अफ़ेयर्स www.facsia.gov.au
- ऑस्ट्रेलियन इंस्टीच्यूट ऑफ़ एबोरिजिनल एंड टोरिस स्ट्रेट आयलैंडर स्टडीज़ www.aiatsis.gov.au

पहले यूरोपियन

1600 के दशक के आरंभ से ही हॉलैंड, पुर्तगाल और स्पेन के खोजकर्त्ताओं ने सूचनाएं दी थीं कि उन्होंने उस समय *Terra Australis Incognita* (टैरा ऑस्ट्रेलिस इन्कोग्निटा – दक्षिण की अज्ञात भूमि) के नाम से जाने वाले स्थान के समुद्र तट के विभिन्न भागों को देखा था।

सन् 1770 में एक ब्रिटिश व्यक्ति, जेम्स कुक ने अपने जहाज, एच एम बार्क *एन्डेवर* में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी समुद्र-तट का दौरा करके उसका नक्शा तैयार किया और फिर ब्रिटेन की राजसत्ता के नाम पर इस पर दावा कर लिया। बाद में ब्रिटेन ने इस नई चौकी को अपराधियों को रखने के लिए एक उपनिवेशी कॉलोनी के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया।

यूरोपियन लोगों के यहाँ बसने की शुरुआत 26 जनवरी 1788 को 11 समुद्री जहाजों के एक बेड़े के सिडनी हार्बर में आने से हुई। पहला बेड़ा, जिसके कप्तान थे आर्थर फ़िलिप जो रॉयल नेवी में कैप्टन थे, 750 अपराधियों सहित लगभग 1500 लोगों को नई उपनिवेशी कॉलोनी में लेकर आया।

फ़िलिप इस 'कॉलोनी ऑफ़ न्यू साउथ वेल्स्' के पहले गवर्नर बने; तब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इसी नाम से जाना जाता था।

खाने-पीने की सामग्री की कमी के कारण कॉलोनी को आरंभिक वर्षों में भुखमरी और अकाल का सामना करना पड़ा। आखिरकार खाने-पीने की सामग्री लाने वाले जहाजों के आगमन से स्थिति में सुधार हुआ। जब 1792 में फ़िलिप यहाँ से गए तब तक आरंभिक आने वाले लोगों के तंबुओं की जगह पर कच्ची इमारतें बन चुकी थीं और सिडनी शहर का आरंभिक खाँचा खिंच चुका था।

कुछ ही वर्षों में सिडनी एक व्यस्त बंदरगाह बन चुका था जहाँ रूस, अमेरिका और फ्रांस जैसे सुदूर स्थानों से जहाज आते थे। सन् 1800 तक कॉलोनी पैरामैट्टा तक फैल चुकी थी और उसकी जनसंख्या 5,000 हो गयी थी।

सन् 1810 से 1821 तक कॉलोनी के गवर्नर लैकलैन मैक्वारी रहे जो ऑस्ट्रेलिया के आरंभिक इतिहास के सबसे महत्त्वपूर्ण नेताओं में से एक थे। उनके प्रशासन काल की विशेषता यह थी कि अपराधी श्रमिकों की सहायता से उन्होंने एक सजा देने के लिए बनी कॉलोनी को एक स्वायत्त योजना में बदल दिया।

सन् 1820 तक कॉलोनी में 30,000 अपराधी और 4,500 स्वतंत्र व्यक्ति बसने के लिए आ चुके थे। जैसे-जैसे कॉलोनी समृद्ध हुई बसने वाले स्वतंत्र लोगों ने खेत और उद्योग धंधे स्थापित किए। यद्यपि आरंभिक दिनों में कैदियों ने बहुत कठिनाईयाँ झेलीं लेकिन अंत में अनेक कैदियों ने अपनी कड़ी मेहनत तथा व्यापार और व्यवसायों में कुशलता के आधार पर सम्मान प्राप्त किया। सन् 1788 से 1868 तक, जब अपराधियों का ऑस्ट्रेलिया लाया जाना समाप्त हुआ, लगभग 1,60,000 पुरुषों और स्त्रियों को अपराधियों के रूप में यहाँ लाया गया था।

कॉलोनी की शुरुआत के आरंभिक वर्षों में महाद्वीप के आंतरिक क्षेत्रों अथवा इसके विस्तृत समुद्र तट के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध थी। खेती तथा भेड़ें चराने के लिए और ताजे पानी के स्रोतों तथा नई कालोनियाँ बसाने के लिए जमीन ढूँढने की सख्त आवश्यकता थी।

अनेक खोजकर्त्ता उत्तर और दक्षिण दिशा में समुद्र तट के साथ-साथ और पश्चिम में जमीन पर ग्रेट डिवाईडिंग रेंज के नाम से जानी जाने वाली एक पर्वत श्रृंखला के पार जाने का रास्ता खोजने के लिए कठिन और खतरनाक अभियानों पर गए। बाद में अन्य लोग ऑस्ट्रेलिया के कुछ ऐसे भीतरी इलाकों में गए जहाँ जीवन का कोई सहारा उपलब्ध नहीं है, इनमें नल्लाबोर प्लेन का शुष्क-गर्म इलाका और मध्य तथा उत्तरी-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। अनेक लोगों की जानें गईं।

अगले तीन दशकों में यहाँ बसने वाले भीतरी भूमि के खोजकर्त्ताओं के पद चिन्हों पर चलते हुए महाद्वीप के उन सभी इलाकों में फैल गए जो बसने के योग्य थे। वैन डाईमैनस् लैंड (तस्मानिया) 1825 में एक अलग उपनिवेशी कॉलोनी बनी और आजकल के क्वींसलैंड, विक्टोरिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया और वैस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी कालोनियाँ बसाई गईं।

ऊन उद्योग के विकास और 1851 में न्यू साउथ वेल्स् और विक्टोरिया में सोने की खोज से ऑस्ट्रेलिया में आने वाले स्वच्छंद लोगों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई।

सन् 1851 से 1871 तक ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या 4,30,000 से तीन गुना बढ़ कर 17 लाख हो गई। नए आने वालों में अधिकांश ब्रिटेन से थे परंतु अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड और हँगरी के लोग भी थे। सोने की खोज में लगभग 40,000 चीनी लोग भी ऑस्ट्रेलिया आए जो कि ब्रिटेन के लोगों को छोड़ कर सबसे बड़ा समूह था।

एक राष्ट्र का जन्म

आरंभ में महाद्वीप का लगभग सारा पूर्वी भाग कॉलोनी ऑफ़ न्यू साऊथ वेल्स् में शामिल था। धीरे-धीरे आरंभिक कॉलोनी से अलग हो कर अन्य कॉलोनियाँ बन गईं।

सन् 1852 में नई कालोनियों को अपनी सरकार बनाने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन हर कॉलोनी का अपना सुरक्षा तंत्र, डाक, व्यापार और यातायात व्यवस्था होने के कारण धीरे-धीरे लोग कालोनियों के बीच में आपसी सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता को महसूस करने लगे। साथ ही एक राष्ट्र की भावना भी पनपने लगी।

उन्नीसवीं सदी के अंत तक लोगों में नागरिकता पर गर्व और आर्थिक समृद्धि बहुतायत में थे। राष्ट्र की पहली रेलवे लाईन और पहला बिजली का तारघर मेल्बर्न में खुल गए। सिडनी और मेल्बर्न में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और भव्य सरकारी भवनों का निर्माण हुआ।

दो अन्य घटनाओं ने ऑस्ट्रेलिया के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विकास में योगदान दिया। सन् 1870 में, पहले बेड़े के आने के 80 वर्ष बाद अंतिम ब्रिटिश सैनिकों ने देश से विदाई ली। साथ ही स्वेज़ कैनाल के खुलने से यूरोप की 'परेशान करने वाली दूरियाँ' कम हो गईं जिससे ऑस्ट्रेलिया में नए आने वालों की संख्या और अधिक बढ़ गई। सन् 1880 तक ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या बीस लाख से अधिक हो चुकी थी।

राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि 1890 के दशक तक जारी रही जब सूखे और मंदी का आघात हुआ। आर्थिक गिरावट ने न्यू साऊथ वेल्स् की लैजिस्लेटिव असैंबली (विधान सभा) के स्पीकर (अध्यक्ष) एडमंड बार्टन और अन्य लोगों की राष्ट्रीय सरकार के आशय के प्रति निष्ठा को और भी गहरा बना दिया क्योंकि राष्ट्रीय सरकार व्यापार नीति और रक्षा जैसी समस्याओं का ऑस्ट्रेलिया भर के लिए समाधान प्रदान कर सकती थी।

1898 और 1900 के बीच में ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने फ़ैडरेशन (संघ) के पक्ष में वोट दिया। 1 जनवरी 1901 को एक संविधान के अंतर्गत छह राज्यों के फ़ैडरेशन से कॉमनवेल्थ ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया का जन्म हुआ। फ़ैडरेशन के समय मूल निवासियों को छोड़ कर ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 38 लाख थी।

ऑस्ट्रेलिया के पहले प्राईम मिनिस्टर (प्रधान मंत्री) थे एडमंड बार्टन जिन्होंने न्यू साउथ वेल्स् में फैडरेशन के आंदोलन का नेतृत्व किया था। राष्ट्र की पहली पार्लियामेंट (संसद) मेल्बर्न की एक्ज़ीबिशन बिल्डिंग में 9 मई 1901 को आरंभ हुई।

नए राष्ट्र के संस्थापक ऑस्ट्रेलिया को समरस, एकजुट और समतावादी बनाना चाहते थे। मानव अधिकारों, प्रजातंत्र की विधियों का पालन और गुप्त मतदान के महत्त्व के बारे में वे प्रगतिशील विचार रखते थे।

ऑस्ट्रेलिया स्त्रियों को मतदान और पार्लियामेंट का सदस्य बनने का अधिकार देने वाले पहले देशों में से एक था – साउथ ऑस्ट्रेलिया ने स्त्रियों को यह अधिकार 1895 में दिया। सभी ऑस्ट्रेलियन स्त्रियों को मतदान और कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट का सदस्य बनने का अधिकार 1902 में मिला।

फ़ैडरेशन से आशावाद का युग आरंभ हुआ और 1901 से 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने तक ऑस्ट्रेलिया की अर्थ व्यवस्था, विशेष रूप से कृषि और औद्योगिक निर्माण क्षमता के विकास में अत्यधिक प्रगति हुई।

यास-कैनबरा क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी के लिए 1908 में चुना गया। जब नई राजधानी के स्थान के चुनाव पर सहमति हो गई तो इसकी रचना का डिज़ाईन बनाने के लिए 1911 में एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आरंभ की गई। 137 प्रविष्टियों में से जो डिज़ाईन चुना गया वह शिकागो के वास्तुशास्त्री बर्ली ग्रिफिन का था। कैनबरा का औपचारिक नाम 12 मार्च 1913 को दिया गया।

28 अगस्त 1923 को ग्रिफिन द्वारा पार्लियामेंट हाउस के लिए प्रस्तावित स्थान के एकदम नीचे (नजदीक) एक भवन का निर्माण आरंभ हुआ जिसका इस्तेमाल अस्थायी पार्लियामेंट के रूप में किया जाना था। उद्घाटन समारोह और पार्लियामेंट की कैनबरा में पहली बैठक 9 मई 1927 को हुई।

युद्ध का प्रभाव

हालांकि ऑस्ट्रेलिया एक राष्ट्र के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त कर चुका था, ब्रिटेन के साथ उसके घनिष्ट भावात्मक और पारिवारिक संबंध बने रहे। जब 1914 में ब्रिटेन ने जर्मनी द्वारा बेल्जियम पर आक्रमण किए जाने पर जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की तो पूरे ऑस्ट्रेलिया ने एकजुट होकर ब्रिटेन को अपना सहयोग दिया।

प्रथम विश्व युद्ध का ऑस्ट्रेलिया पर गहरा असर पड़ा। सन् 1914 में ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या लगभग 45 लाख थी इसलिए पुरुषों की संख्या संभवतः तीस लाख से बहुत कम थी; फिर भी 4,17,000 ऑस्ट्रेलियन पुरुषों ने युद्ध में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की और 3,30,000 से अधिक ने इसमें वास्तव में भाग लिया। सन् 1918 में युद्ध के समाप्त होने तक लगभग 60,000 शहीद हो चुके थे और 1,52,000 से अधिक घायल हुए थे।

इस अनुभव से ऑस्ट्रेलिया के सबसे चिरस्थायी जीवन मूल्यों में से एक का विकास हुआ: एंजैक की साहस, एकजुटता और 'मेटशिप' (एक दूसरे की सहायता) के आचार की भावना।

हर वर्ष 25 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया 1915 में ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूज़ीलैंड कोर – जो एंजैक के नाम से जाना जाता है – और उनके मित्र देशों के सैनिकों द्वारा गैलीपोली, तुर्की में लड़े गए एक ऐसे युद्ध का स्मरण करता है जो बहादुरी से लड़ा गया पर जिसमें अंत में उसकी हार हुई।

एंजैक सैनिक (ब्रिटिश, फ्रांसीसी और भारतीय सैनिकों सहित) गैलीपोली में इस उद्देश्य से उतरे कि वे डारडानैलस् में से रास्ता साफ करके कॉन्स्टैंटीनोपल पर बमबारी करके तुर्की को हरा देंगे। लेकिन दुष्कर, और सीधी ऊँचाई वाले समुद्र तटों और तुर्की के सैनिकों के जबर्दस्त क्षेत्ररक्षण ने उन्हें आगे बढ़ने से रोके रखा और 20 दिसम्बर 1915 को एंजैक सैनिक लौट गए। युद्ध का अभियान आठ महीने चला और ऐसा अनुमान है कि इसमें 8,700 ऑस्ट्रेलियन सैनिक युद्ध में अथवा युद्ध में लगी चोटों अथवा बीमारियों के कारण शहीद हुए।

आज एंजैक डे न केवल एंजैक सैनिकों बल्कि तब से लेकर अब तक युद्ध में भाग लेने वाले सभी ऑस्ट्रेलियन सैनिकों की याद में मनाया जाता है।

दो विश्व युद्धों के बीच के समय (1919-1939), विशेष रूप से गहरी मंदी के वर्षों में सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता रही और इस दौरान अनेक ऑस्ट्रेलियन वित्तीय संगठन ठप्प हो गए।

ऊन और गेहूँ (ऑस्ट्रेलिया की मुख्य निर्यातित वस्तुओं) के भावों में भारी गिरावट, ब्रिटिश पूँजी निवेश के निकास और अन्य निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में गिरावट ने एक गहरा आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया। बेरोज़गारी तेज़ी से बढ़ी, 1933 तक श्रमबल का लगभग एक तिहाई भाग बेरोज़गार हो चुका था और राष्ट्रीय आय में भारी गिरावट आई।

'सारे झगड़ों को समाप्त करने के लिए लड़े गए युद्ध' के 20 वर्ष से कुछ अधिक समय के बाद जैसे ही देश मंदी से बाहर निकल पाया, एक और विश्व युद्ध आरंभ हो गया। सन् 1939 में ब्रिटेन ने जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किए जाने पर जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रेलिया के प्राईम मिनिस्टर, रॉबर्ट मैंजीस् ने भी जवाबी घोषणा कर दी कि ऑस्ट्रेलिया भी युद्ध में शामिल है।

दूसरे विश्व युद्ध में ऑस्ट्रेलिया के सैनिक बलों ने यूरोप, एशिया और पैसिफ़िक में मित्र देशों की जीत में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें जान-माल का भारी नुकसान हुआ, लगभग 40,000 ऑस्ट्रेलियन शहीद हुए और अनेक घायल हुए।

इस युद्ध में लड़ने और जीवित वापिस लौटने वाली पीढ़ी में ऑस्ट्रेलिया की क्षमताओं में गर्व की भावना उभरी और यह एहसास हुआ कि सिंगापुर की हार, ब्रूम, डार्विन और नॉर्दन ऑस्ट्रेलिया में टाउनस्विल में जापान द्वारा बमबारी, एक सबमेरीन (पनडुब्बी) द्वारा सिडनी हार्बर पर आक्रमण, और आजकल के पपुआ न्यू गिनी में कोकोडा पगडंडी पर जापानी हमले के विरुद्ध लड़ाई से युद्ध ऑस्ट्रेलिया के द्वार तक आ पहुँचा था।

गैलीपोली के युद्ध की तरह ही कोकोडा का युद्ध भी लड़ाई में ऑस्ट्रेलियन लोगों के साहस और एकजुटता की भावना का प्रतीक बन गया है। पोर्ट मोसबी पर अधिकार करने के इरादे से पपुआ के उत्तरी समुद्र तट पर उतरी जापानी सेना के हमले को विफल करने के लिए विकट परिस्थितियों में चार महीने चलने वाले इस युद्ध में कुल 625 ऑस्ट्रेलियन सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए और 1055 घायल हुए।

इंटरनेट पर जानकारी के लिए

- ऑस्ट्रेलियन वार मैमोरियल www.awm.gov.au

समृद्धि और बदलाव

युद्ध के तुरंत बाद के समय में जब ऑस्ट्रेलिया के निर्माण उद्योगों में समर्थ श्रमिकों की कमी थी, लाखों शरणार्थी और आप्रवासी ऑस्ट्रेलिया पहुँचे।

1950 के दशक में अर्थ व्यवस्था तेज़ी से विकसित हुई और लगभग सबके लिए रोज़गार की उपलब्धता से ऑस्ट्रेलियन लोगों को आम तौर पर समृद्धि प्राप्त हुई। मकानों के स्वामित्व की दर जो 1947 में मुश्किल से 40% थी, बढ़कर 1960 के दशक में 70% से अधिक हो चुकी थी।

जनसंख्या जो 1945 में 74 लाख थी वह 1960 में बढ़कर 1 करोड़ 4 लाख हो गई। गैर–ब्रिटिश आप्रवासियों की संख्या में वृद्धि के कारण जनसंख्या की संरचना में भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आने लगे।

ऑस्ट्रेलिया के व्यापार संबंधों में भी परिवर्तन हुआ और 1970 के दशक में ब्रिटेन के स्थान पर जापान ऑस्ट्रेलिया के व्यापार में मुख्य सहभागी बना।

अन्य परिवर्तनों में सरकार के सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों का लगातार विस्तार और 1956 में टेलीविज़न की शुरुआत शामिल हैं – इसी वर्ष मेल्बर्न ने ओलंपिक खेलों की मेजबानी की जो उस समय तक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में सबसे बड़ी थी।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ऑस्ट्रेलिया में कुल मिला कर 40 वर्षों से अधिक समय तक लिबरल पार्टी और कंट्री पार्टी (अब इसका नाम नैशनल पार्टी है) के गठबंधन का और कुल 20 वर्षों तक लेबर पार्टी का शासन रहा है।

सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया जारी है।

पिछले दो दशकों में विस्तृत आर्थिक सुधार लागू किए गए हैं और हाल ही के वर्षों में ऑस्ट्रेलिया विश्व के विकसित देशों में सबसे अधिक प्रगति करने वाले देशों में से एक रहा है और इसकी आर्थिक प्रगति से रोज़गार के नए अवसर उभरे हैं और उत्पादकता में वृद्धि से ऑस्ट्रेलियन लोगों के जीवन स्तर में प्रगति हुई है।

इंटरनेट पर जानकारी के लिए

- नैशनल लायब्रेरी ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया www.nla.gov.au
- ऑस्ट्रेलियन गवर्नमैंट कल्चर एंड रिक्रिएशन पोर्टल www.cultureandrecreation.gov.au

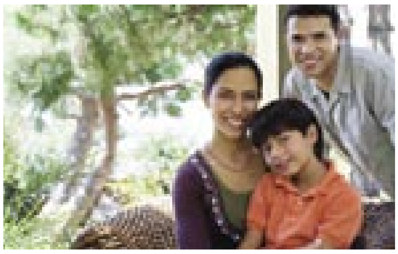

जो लोग ऑस्ट्रेलिया को अपना देश मानते हैं

ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र निर्माण में आप्रवासन सदा एक महत्त्वपूर्ण अवयव रहा है। बसने के लिए आने वाले लोग 1788 से ऑस्ट्रेलिया में आने लगे।

19वीं सदी के मध्य में सोने की खोज की भाग-दौड़ में हर वर्ष औसतन लगभग 50,000 आप्रवासी ऑस्ट्रेलिया में आए थे। आने वाले वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में आप्रवासन जारी रहा जो ऑस्ट्रेलिया और अन्य स्थानों की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को दर्शाता है।

प्रारम्भ में ऑस्ट्रेलिया में आने वाले अधिकाँश आप्रवासी ब्रिटेन और आयरलैंड से थे और नए राष्ट्र की नींव उनकी एंगलो-कैल्टिक विरासत पर बनी थी।

द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में यूरोप से लाखों लोग अपने-अपने देशों से विस्थापित कर दिए गए थे। ठीक उसी समय ऑस्ट्रेलिया में श्रमिकों की कमी और एक बढ़ती हुई धारणा थी कि राष्ट्र के भविष्य के लिए जनसंख्या में भारी वृद्धि की आवश्यकता है।

इन और कई अन्य कारणों से 1945 में फ़ैडरल इम्मिग्रेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। तब से ले कर अब तक यह डिपार्टमेंट विभिन्न नामों से चलता आ रहा है।

सन् 1947 तक आप्रवासन चरम सीमा पर पहुँच गया था और आने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, इनमें अनेक सरकार से यात्रा के लिए सहायता प्राप्त करके आए थे। इनमें अधिकाँश यूरोप से थे क्योंकि 1901 में फ़ैडरेशन के बनने से 1970 के दशक तक 'श्वेत ऑस्ट्रेलिया' की नीति लागू थी जिसके कारण विश्व के अनेक भागों से आप्रवासन पर प्रतिबंध लागू थे।

ऑस्ट्रेलिया में 1945 से अब तक आने वाले 65 लाख लोगों में से अनेक अपने परिवार के प्रति वचनबद्धता की प्रेरणा से अथवा गरीबी, युद्ध अथवा उत्पीड़न से राहत पाने के लिए आए थे। वे अपने और अपने परिवारों के लिए एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहते थे और उन्हें उपलब्ध अवसरों का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए कड़ी मेहनत करने को तत्पर थे।

उदाहरण के लिए, तीस देशों के एक लाख से अधिक आप्रवासियों ने ऑस्ट्रेलिया के सदर्न एल्पस् में पानी से बिजली पैदा करने की एक विशाल परियोजना, Snowy Mountains Scheme (स्नोई मांउटेनस् स्कीम) में काम किया। परियोजना को पूरा होने में 1949 से 1974 तक 25 वर्ष लगे।

1970 के दशक के मध्य से गैर-यूरोपियन लोगों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटा लिया गया और तब से ऑस्ट्रेलिया की आप्रवासन नीति भेद-भाव रहित रही है। वीज़ा के लिए योग्यता के निर्धारण में किसी व्यक्ति की जातीय पृष्ठभूमि, लिंग, नस्ल अथवा धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

इंटरनेट पर जानकारी के लिए

- डिपार्टमेंट आफ़ इम्मिग्रेशन एंड सिटीज़नशिप www.immi.gov.au

प्रजातंत्र और सरकार

ऑस्ट्रेलिया एक प्रतिनिधित्व पर आधारित प्रजातंत्र है – पार्लियामेंट पर आधारित सरकार की एक ऐसी प्रणाली जिसमें ऑस्ट्रेलियन नागरिक भाग ले सकते हैं और अपना मत व्यक्त कर सकते हैं।

यह प्रणाली प्रजातांत्रिक परंपराओं पर आधारित है और धार्मिक सहिष्णुता और संगठन में शामिल होने की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करती है। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय सरकार जिन संस्थानों और परंपराओं पर आधारित है उनमें अनेक ब्रिटिश और उत्तरी अमेरिका की परंपराओं से मिलते-जुलते हैं।

ऑस्ट्रेलिया का संविधान

जब 1 जनवरी 1901 को संविधान लागू हुआ तो Commonwealth of Australia (कॉमनवेल्थ ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया) की एक संघीय राष्ट्र के रूप में स्थापना हुई। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय सरकार का खाका ऑस्ट्रेलिया के संविधान द्वारा स्थापित किया गया है।

संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं लेकिन ऐसा केवल संविधान में दी गई विधि के अनुसार एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह द्वारा मतदाताओं की स्वीकृति से ही किया जा सकता है। किसी भी संशोधन के लिए दो तरह के बहुमत की आवश्यकता है – मतदाताओं का बहुमत और आधे से अधिक राज्यों (छह में से कम से कम चार) में राज्य के मतदाताओं का बहुमत।

ऑस्ट्रेलियन फ़ैडरेशन

संविधान एक संघीय सरकार की प्रणाली की स्थापना करता है जिसमें एक कॉमनवेल्थ (अथवा राष्ट्रीय) सरकार और छह राज्य सरकारें शामिल हैं। इसके अलावा कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट द्वारा अपना प्रशासन स्वयं चलाने वाले राज्य-क्षेत्रों की स्थापना भी की गई है जो राज्यों की तरह ही काम करते हैं, और राज्यों और राज्य-क्षेत्रों द्वारा कुछ स्थानीय मामलों (जैसे कि पार्क, स्थानीय सड़कें, कूड़े को एकत्र करके राह लगाना) की देख-भाल के लिए स्थानीय सरकारी निकायों की स्थापना भी की गई है।

ऑस्ट्रेलियन संविधान में उन विषयों की सूची है जिन पर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट कानून बना सकती है। इनमें विदेशी मामले, अन्तर्राज्यीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, सुरक्षा और आप्रवासन शामिल हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर, राज्य और राज्य-क्षेत्र उन सभी विषयों पर कानून बना सकते हैं जो उनके राज्य अथवा राज्य-क्षेत्र से संबंध रखते हैं। लेकिन राज्य और राज्य-क्षेत्र ऐसे कानून नहीं बना सकते जो कॉमनवेल्थ कानूनों से मेल न खाते हों। जिन विषयों पर राज्यों और राज्य-क्षेत्रों द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं उनके उदाहरण हैं शिक्षा, सड़कें, पुलिस, आग और सार्वजनिक यातायात।

राष्ट्रीय और राज्यों, दोनों स्तरों पर सरकार की तीन शाखाएं हैं लैजिस्लेचर (विधायिका या पार्लियामेंट), एक्ज़ीक्यूटिव गवर्नमेंट (कार्यपालिका) और जुडिशियरी (न्यायपालिका)।

ऑस्ट्रेलिया में सरकार की प्रणाली काफ़ी हद तक वैस्टमिंस्टर की परंपराओं पर आधारित हैं, यह नाम वैस्टमिंस्टर के महल से जुड़ा है जहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधिवेशन होते हैं। पार्लियामेंट द्वारा शासन की यह प्रणाली कई सदियों में विकसित हुई। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं एक राष्ट्र का मुखिया जो सरकार का मुखिया नहीं होता और एक कार्यपालिका जो पार्लियामेंट के सदस्यों से बनाई जाती है और उसी के प्रति सीधे उत्तरदायी होती है। 'रूल ऑफ़ लॉ' (विधि पूर्व शासन) लागू होता है और न्यायपालिका पार्लियामेंट के नियंत्रण से स्वच्छंद होती है।

ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंटें वैस्टमिंस्टर प्रणाली से इस मामले में अलग हैं कि उनके अधिकार संबंधित राज्य अथवा कॉमनवेल्थ संविधान द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

ऑस्ट्रेलियन सरकार

कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट, जो कि राष्ट्रीय कानून बनाती है, इसके दो 'सदन' (चैम्बर अथवा हाउस) हैं: House of Representatives (हाउस ऑफ़ रिप्रैज़ेन्टेटिवस् – लोक सभा) और Senate (सीनेट – विधान सभा)। दोनों सदनों के सदस्यों का चुनाव फ़ैडरल चुनावों में सीधे ऑस्ट्रेलिया के लोगों द्वारा किया जाता है। हाउस ऑफ़ रिप्रैज़ेन्टेटिवस् के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल तीन वर्ष है; सीनेट में अधिकतम छह वर्ष का (हाउस ऑफ़ रिप्रैज़ेन्टेटिवस् और 'आधी सीनेट' के फ़ैडरल चुनाव अक्सर एक साथ होते हैं)।

सीनेट में 76 सीनेटर होते हैं – छह राज्यों में हर राज्य से 12 सीनेटर तथा नॉर्दन टैरिटरी और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टैरिटरी से दो-दो सीनेटर। हाउस ऑफ़ रिप्रैज़ेन्टेटिवस् में हर राज्य के सदस्यों की संख्या उसकी जनसंख्या पर निर्भर करती है। हाउस ऑफ़ रिप्रैज़ेन्टेटिवस् के सदस्यों की संख्या जहाँ तक संभव हो सके सीनेट के सदस्यों की संख्या से दुगुनी होनी चाहिए। वर्तमान समय में इस सदन में 150 सदस्य हैं उनमें से प्रत्येक किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले लगभग 80,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है (इसे electorate इलैक्टोरेट कहते हैं)।

सरकार (आम तौर पर इसे 'ऑस्ट्रेलियन सरकार' कहते हैं) उस पार्टी अथवा पार्टियों के गठबंधन द्वारा बनाई जाती है जिसे हाउस ऑफ़ रिप्रैज़ेन्टेटिवस् में बहुमत प्राप्त होता है। पार्लियामेंट में उस पार्टी अथवा पार्टियों के गठबंधन का नेता Prime Minister (प्राईम मिनिस्टर – प्रधान मंत्री) बनता है और उसकी नियुक्ति जनता द्वारा नहीं होती बल्कि उस पार्टी द्वारा होती है जिसके हाथ में हाउस ऑफ़ रिप्रैज़ेन्टेटिवस् में शक्ति का संतुलन होता है। सरकार के लिए सीनेट का बहुमत प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

कोई भी प्रस्तावित विधेयक कानून बन सके इसके लिए दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है। कुछ आर्थिक विधेयकों को छोड़ कर विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, आर्थिक विधेयकों का हाउस ऑफ़ रिप्रैज़ेन्टेटिवस् में पहले प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

चुनाव

आम तौर पर नई सरकार का गठन आम चुनावों के बाद होता है।

ऑस्ट्रेलियन सरकार की अधिकतम अवधि नई पार्लियामेंट के पहले सदन से तीन वर्ष की होती है। लेकिन प्राईम मिनिस्टर तीन वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले ही गवर्नर जनरल से आम चुनाव करवाने का अनुरोध कर सकता है।

9 मई 1901 में पहली पार्लियामेंट के आरंभ से अब तक हाउस ऑफ़ रिप्रैज़ेन्टेटिवस् के 40 से अधिक चुनाव हो चुके हैं।

मतदान के लिए नामांकन और वोट देना

इससे पहले कि कोई व्यक्ति फ़ैडरल, राज्यों और अधिकांश स्थानीय सरकारों के चुनावों में वोट दे सके, उसका नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। जो लोग ऑस्ट्रेलियन नागरिक हैं और 17 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के हैं वे अपना नामांकन करवा सकते हैं और जैसे ही उनकी आयु 18 वर्ष की हो जाती है, वे वोट दे सकते हैं। नामांकन के लिए फ़ॉर्म Australian Electoral Commission (AEC) (ऑस्ट्रेलियन इलैक्टोरल कमीशन – ए ई सी) के कार्यालयों, डाकघरों और ए ई सी की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

यदि कोई ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति किसी अन्य देश में रहने लगता है तो फ़ैडरल चुनावों में मतदान के लिए नामांकन को जारी रखने के लिए उसे ऑस्ट्रेलिया से जाने के तीन वर्षों के अंदर विदेशी मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण से उनका नाम छह वर्षों तक मतदाता सूची में रह सकता है। यदि वे इसके बाद अपने इस अधिकार को जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें एक-एक वर्ष के लिए ए ई सी को आवेदन देना होगा।

सभी योग्य ऑस्ट्रेलियन नागरिकों के लिए नामांकन करवाना और वोट देना अनिवार्य है। हालाँकि वोट न देने पर दिया जाने वाला जुर्माना थोड़ा ही है, ऑस्ट्रेलिया में मतदाताओं के चुनाव में भाग लेने की दर विश्व की अधिकतम दरों में से एक है; चुनाव प्रक्रिया में 90 प्रतिशत से

अधिक मतदाता भाग लेते हैं। आॅस्ट्रेलियन नागरिक तीन स्तरों पर सरकार में प्रतिनिधियों को चुनने के लिए वोट देते हैं – कॉमनवेल्थ, राज्य अथवा राज्य–क्षेत्र और स्थानीय।

नामांकित आॅस्ट्रेलियन व्यक्ति विदेश में होने पर भी फ़ैडरल चुनावों में मतदान दे सकते हैं, अथवा यदि आरंभिक मतदान शुरु हो चुका है तो वे जाने से पहले वोट दे सकते हैं।

फ़ैडरल चुनाव प्रकिया के लिए देश को इलैक्टोरेटों (निर्वाचन मंडलों) में बाँटा गया है। हाउस आॅफ़ रिप्रैज़ेन्टेटिवस् के लिए आॅस्ट्रेलियन मतदाता स्थानीय इलैक्टोरेट के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों में से चुनाव करते हैं। यदि किसी भी उम्मीदवार को पहली प्राथमिकता के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त नहीं होते तो सबसे कम मत पाने वाले प्रत्याशी के वोट मतदाताओं द्वारा उनके मतपत्र पर दी गई दूसरी प्राथमिकता के आधार पर अन्य प्रत्याशियों में बाँट दिए जाते हैं।

यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक किसी एक उम्मीदवार को 50 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त नहीं हो जाते।

सीनेट के चुनावों में भी प्राथमिकताओं का इस्तेमाल किया जाता है और उम्मीदवारों को जिस राज्य अथवा राज्य–क्षेत्र से वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके वोटों का निर्धारित ‘कोटा’ (प्रतिशत) प्राप्त करना होता है।

आॅस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट के अधिकांश सदस्य राजनीतिक पार्टियों के सदस्य होते हैं। ये पार्टियाँ ऐसे लोगों का एक समूह होती हैं जो देश को चलाए जाने के बारे में समान आदर्शों और सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं)।

आॅस्ट्रेलिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बन सकता है और लक्ष्यों को निर्धारित करने, पार्टी की नीतियाँ बनाने तथा पार्टी के उम्मीदवारों को उनके चुनाव अभियान में सहायता देने में योगदान दे सकता है।

आॅस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के लिए चुनाव लड़ने के लिए यह आवश्यक है कि उम्मीदवार आॅस्ट्रेलिया के नागरिक हों और उन्होंने अन्य किसी भी नागरिकता को त्यागने के लिए सभी संभव कदम उठाए हों।

राज्यों और राज्य–क्षेत्रों की सरकारें

हर राज्य की अपनी पार्लियामेंट है जो उस राज्य की सरकार का निर्णय लेने वाला निकाय है। क्वीनस्लैंड पार्लियामैंट के अलावा सभी राज्यों की पार्लियामेंट में दो सदन हैं।

राज्यों की पार्लियामेंटों के सदस्यों को आम तौर पर मैम्बर (सदस्य) कहा जाता है – मैम्बरस् आॅफ़ दि लैजिस्लेटिव असैंबली Legislative Assembly (एम एल ए) अथवा मैम्बरस् आॅफ़ दि हाउस आॅफ़ असैंबली House of Assembly (एम एच ए) अथवा मैम्बरस् आॅफ़ दि लैजिस्लेटिव कौंसिल Legislative Council (एम एल सी)। राज्य सरकार का मुखिया Premier (प्रीमियर) कहलाता है।

नाॅर्दन टैरिटरी और आॅस्ट्रेलियन कैपिटल टैरिटरी की व्यवस्था विभिन्न है। हर राज्य–क्षेत्र की पार्लियामेंट में एक सदन है जिसे Legislative Assembly लैजिस्लेटिव असैंबली कहते हैं। हर राज्य–क्षेत्र की सरकार का मुखिया Chief Minister (चीफ़ मिनिस्टर) कहलाता है।

राज्यों और राज्य–क्षेत्रों की सरकारों की जिम्मेदारियों में कानून और व्यवस्था, उपभोक्ताओं संबंधी मामले, स्वास्थ्य, शिक्षा, वनिकी, सार्वजनिक यातायात और मुख्य सड़कें शामिल हैं।

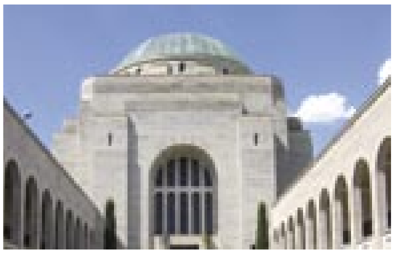

स्थानीय सरकार

स्थानीय सरकार के निर्णय लेने वाले निकाय को city (सिटी) अथवा shire council (शायर कौंसिल) कहते हैं। राज्य सरकारों द्वारा किसी सिटी अथवा स्थानीय समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं की देख-भाल के लिए कौंसिलों की स्थापना की गई है। जो व्यक्ति कौंसिलों में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें एल्डरमैन अथवा कौंसलर कहते हैं। कौंसिल का मुखिया Mayor (मेयर) अथवा Shire President (शायर प्रैज़िडैंट) होता है।

स्थानीय सरकार की जिम्मेदारियों में स्थानीय सड़कों की देख-भाल, कूड़े को एकत्र करके राह लगाना, भवनों का नियमन तथा भूमि का खंडों में विभाजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, और मनोरंजन की सुविधाएं जैसे कि तरण ताल शामिल हैं।

संवैधानिक राजतंत्र

ऑस्ट्रेलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र है लेकिन उसके ब्रिटेन की महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय से संवैधानिक संबंध हैं जो ऑस्ट्रेलिया की महारानी हैं।

महारानी प्राईम मिनिस्टर की सलाह से Governor-General गवर्नर जनरल को ऑस्ट्रेलिया में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करती हैं। गवर्नर जनरल प्राईम मिनिस्टर की सलाह पर मिनिस्टरों (मंत्रियों) की नियुक्ति करते हैं और वस्तुतः वह सभी मामलों में पारंपरिक रूप से केवल मिनिस्टरों की सलाह के अनुसार ही कार्रवाई करते हैं।

फ़ैडरल न्याय तंत्र

ऑस्ट्रेलिया का न्याय तंत्र न्यायसंगत प्रक्रियाओं और कानून की निगाह में सबके लिए बराबरी के मूल सिद्धांतों को दर्शाता है।

ऑस्ट्रेलिया में न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करने और उनके लागू किए जाने के लिए उत्तरदायी है। न्यायाधीश बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के इस दायित्व को पूरा करते हैं।

High Court of Australia (हाई कोर्ट ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया) कानूनी झगड़ों में अपील करने के लिए अंतिम न्यायालय है। हाई कोर्ट के मुख्य दायित्वों में से एक है ऑस्ट्रेलियन संविधान की व्याख्या। हाई कोर्ट किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है – अर्थात् वह पार्लियामेंट के अधिकार-क्षेत्र के बाहर है – इसलिए उसे लागू नहीं किया जा सकता।

इंटरनेट पर जानकारी के लिए

- पार्लियामेंट ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया www.aph.gov.au
- ऑस्ट्रेलियन इलैक्टोरल कमीशन www.aec.gov.au
- हाई कोर्ट ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया www.hcourt.gov.au

आजकल का ऑस्ट्रेलियन समाज

आजकल के ऑस्ट्रेलियन समाज को परिभाषित करने वाली विशेषताओं में इसके निवासियों की सांस्कृतिक विविधता और ऑस्ट्रेलिया के प्रति उनकी सर्वोच्च और एकीकृत करने वाली वचनबद्धता है।

परिभाषित करने वाली विशेषताओं में एक और है ऑस्ट्रेलियन समाज में समतावाद की भावना। इसका अर्थ यह नहीं है कि सब बराबर हैं अथवा सबको समान वैभव और संपत्ति मिले। इसका अर्थ यह भी है कि मेहनत और लगन से वे लोग भी सफ़ल हो सकते हैं जिनकी ऊँची पहुंच नहीं है अथवा जिनका कोई प्रभावी संरक्षक नहीं है।

सभी ऑस्ट्रेलियनों को अपनी संस्कृति और मान्यताओं को व्यक्त करने और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय जीवन में पूर्ण रूप से भाग लेने का अधिकार है बशर्ते कि वह कानून के दायरे में हो। ऑस्ट्रेलिया का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म के देश, सांस्कृतिक विरासत, भाषा, लिंग अथवा धार्मिक धारणाओं के आधार पर हानि न हो।

एक स्थिर, शांत और समृद्ध समाज बनाए रखने के लिए सभी आस्ट्रेलियनों से, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो, यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऑस्ट्रेलियन समाज के मूलभूत साझे सिद्धांतों और जीवन मूल्यों का आदर करेंगे।

पृष्ठ 4 पर *ऑस्ट्रेलियन जीवन मूल्य और सिद्धांत* देखें।

कानून और सामाजिक प्रथाएं

ऑस्ट्रेलियन में सामुदायिक व्यवहार औपचारिक कानूनों और अनौपचारिक सामाजिक प्रथाओं, दोनों पर आधारित है।

ऑस्ट्रेलिया में सभी लोगों के लिए देश के कानूनों का पालन करना अनिवार्य है अन्यथा उन पर फ़ौजदारी अथवा दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। लोगों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि आम तौर पर वे सामाजिक प्रथाओं, आदतों और प्रणालियों का पालन करेंगे हालांकि आम तौर पर ये कानूनी दृष्टि से बाध्य नहीं है।

ऑस्ट्रेलिया के कानून ऑस्ट्रेलिया की कॉमनवेल्थ, राज्यों और राज्य-क्षेत्रों की पार्लियामेंटों द्वारा बनाए जाते हैं। पुलिस का काम समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना और उनकी नजर में जिन लोगों ने कानून को तोड़ा है, उन्हें न्यायालयों में प्रस्तुत करना है। लोग अपने स्थानीय समुदाय और पड़ोस में भी किसी संकट के समय एक दूसरे की सहायता करते हैं और किसी असामान्य अथवा संदिग्ध बात के बारे में स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित करते हैं।

ऑस्ट्रेलिया में एक राष्ट्रीय पुलिस बल है जिसे Australian Federal Police (ऑस्ट्रेलियन फ़ैडरल पुलिस) कहते हैं और जो फ़ैडरल कानूनों के तोड़े जाने संबंधी अपराधों की छान-बीन करता है जिनमें नशीले पदार्थों का धंधा करना, गैर-कानूनी आप्रवासन, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अपराध और पर्यावरण के प्रति अपराध शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के सभी राज्यों और नॉर्दन टैरिटरी के अपने पुलिस बल हैं जो राज्यों और टैरिटरी के कानूनों को भंग करने वाले अपराधों से निपटते हैं। ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टैरिटरी में पुलिस का काम ऑस्ट्रेलियन फ़ैडरल पुलिस करती है।

यद्यपि पुलिस अधिकारी लोगों को बंदी बना सकते हैं और अदालत में साक्षी दे सकते हैं, वे इस बात पर अंतिम निर्णय नहीं ले सकते कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषी है अथवा नहीं। यह निर्णय न्यायालय द्वारा लिया जाता है।

ऑस्ट्रेलिया में पुलिस और समुदाय के लोगों में अच्छे संबंध हैं। आप अपराध की सूचना दे सकते हैं और पुलिस से सहायता मांग सकते हैं। यदि पुलिस आपसे कोई सवाल पूछती है तो शांत रहें, शिष्ट भाषा में बात करें और उन्हें सहयोग दें।

न्यायालय और कानून

न्याय करना अदालतों का दायित्व है। वे यह निर्णय लेती हैं कि किसी व्यक्ति ने कानून तोड़ा है अथवा नहीं और जो लोग जुर्म करने के दोषी पाए गए हैं उनका क्या किया जाए।

कुछ मामलों में एक मजिस्ट्रेट द्वारा केस (मामले) की सुनवाई होती है जो उस पर निर्णय देता है। अन्य मामलों में नागरिकों की एक जूरी न्यायाधीश के मार्गदर्शन में निर्णय लेती है। सभी मामलों में जब तक बिना किसी उचित संदेह के यह सिद्ध न हो जाए कि प्रतिवादी अपराधी है, उसे निरपराध माना जाता है। प्रतिवादियों को अपने वकील के द्वारा प्रतिनिधित्व का अधिकार भी होता है।

कुछ मामलों में जो लोग वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व का खर्च वहन नहीं कर सकते उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है ।

कुछ टैम्परेरी वीज़ा पर आने वाले लोगों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आॅस्ट्रेलिया में उनके लगातार रहने पर अपराधी होने के निर्णय से क्या प्रभाव पड़ सकता है।

अपराध

गंभीर अपराधों में हत्या, हमला, यौन हमला, बच्चों संबंधी यौन संबध, व्यक्तियों अथवा संपत्ति के प्रति हिंसा, सशस्त्र लूट अथवा चोरी, मोटर गाड़ी को खतरनाक तरीके से चलाना, अवैध नशीली दवाओं को रखना और उनका इस्तेमाल, धोखाधड़ी अथवा जो लोग कानून के अंतगर्त अपनी सहमति देने की उम्र (यह आॅस्ट्रेलिया के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है) से कम आयु के हैं उनसे यौन संबंध शामिल हैं।

आॅस्ट्रेलिया सांस्कृतिक विविधता को महत्त्व देता है। लेकिन यह आवश्यक है कि सभी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएं वर्तमान कानूनों के अनुसार हों। उदाहरण के लिए राज्यों और राज्य-क्षेत्रों के कानूनों के अंतर्गत जननांगों को विकृत करने और घरेलू हिंसा की प्रथाओं पर प्रतिबंध लागू हैं।

घरेलू हिंसा

अन्य देशों की तरह आॅस्ट्रेलिया में भी किसी अन्य व्यक्ति के प्रति हिंसा अवैध है और इसे बहुत गंभीर माना जाता है। इसमें घर की चारदीवारी और विवाह के दायरे में हिंसा, जिसे घरेलू अथवा पारिवारिक हिंसा कहते हैं, शामिल है। किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कार्य घरेलू हिंसा होगा जिससे पीड़ित व्यक्ति के साथ शारीरिक, यौन अथवा मानसिक दुर्व्यवहार हो या उसकी क्षति हो अथवा ऐसा होने का डर पैदा हो, जबर्दस्ती यौन संबंधों की स्थापना, जबर्दस्ती अलग रखा जाना अथवा आर्थिक रूप से परेशान करना।

नशीले पदार्थ, धूम्रपान और मदिरा पान

अवैध/गैर-कानूनी/निषिद्ध नशीली दवाओं को दूसरों को देने अथवा रखने पर भारी दंड दिया जा सकता है। इन्हें बनाने, दूसरों को देने और बेचने के लिए और भी अधिक दंड लागू होता है। तंबाकू से धूम्रपान और शराब पीना अवैध नहीं है परंतु इनके सार्वजनिक इस्तेमाल पर अनेक नियंत्रण लागू हैं।

धीरे-धीरे अनेक स्थानों पर तंबाकू से धूम्रपान पर प्रतिबंध लग रहे हैं जिनमें अधिकांश सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य चिकित्सालय और कार्यस्थल शामिल हैं। अधिकांश राज्यों और राज्य-क्षेत्रों में चारदीवारी में बद्ध सार्वजनिक स्थानों जैसे कि रेस्तराँओं, नाईटक्लबों, मदिरालयों, विद्यालयों और शापिंग सेंटरों में धूम्रपान करना मना है। कुछ राज्यों और राज्य-क्षेत्रों में कुछ खुले सार्वजनिक स्थानों में भी धूम्रपान करना मना है। किसी भी परचून विक्रेता द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू वाले पदार्थ बेचना जुर्म है।

आॅस्ट्रेलिया में मदिरा पान वैध है परंतु ऐसा कुछ स्थानों और कुछ समयों में ही किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को मदिरा बेचना अथवा देना गैर-कानूनी है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा निजी संपत्ति, जैसे कि घर के अलावा किसी अन्य स्थान पर मदिरा पीना गैर-कानूनी है। स्वास्थ्य पर मदिरा सेवन के प्रभावों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आॅस्ट्रेलियन एल्कोहल गाईडलाईनस् से संपर्क करें।

इंटरनेट पर जानकारी के लिए

- www.alcohol.gov.au

यातायात के नियम

मोटर गाड़ी चलाने के नियम राज्य और राज्य-क्षेत्रों की सरकारें बनाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में कार चलाने के लिए निवासियों के पास एक स्थानीय ड्राईवर लाईसेंस का होना अनिवार्य है और गाड़ी भी पंजीकृत होनी चाहिए। यातायात के नियमों का पालन न करने अथवा उनको भंग करने पर भारी जुर्माना हो सकता है, ड्राईवर लाईसेंस रद्द किया जा सकता है अथवा जेल भी हो सकती है। कार में यात्रा करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए सीट बैल्ट लगाना अनिवार्य है (अथवा छोटे बच्चों और नन्हे-मुन्नों के लिए, अधिकृत नियंत्रण)।

पृष्ठ 42 पर *ड्राईवरस् लाईसेंसिज़* देखें

गति सीमा और मदिरा पान करके गाड़ी चलाने संबंधी यातायात कानून विशेष रूप से सख्त हैं। गाड़ी चलाते समय हाथ में पकड़े जाने वाले मोबाईल फ़ोन पर बातचीत करना भी अवैध है।

जानवरों के साथ दया का बर्ताव

किसी जानवर के साथ दुर्व्यवहार अथवा उसकी उपेक्षा करना गैर-कानूनी है। लोगों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सभी जानवरों के साथ दया का बर्ताव करेंगे, चाहे वे पालतू पशु हों या वन्य पशु। ऑस्ट्रेलिया के अनेक देशज पशु संरक्षित हैं और शिकार पर सख्त नियम लागू होते हैं। दूसरे लोगों की संपत्ति पर जानवरों की जान लेना निषिद्ध है और आम तौर पर घर में किस तरह के पालतू पशु रखे जा सकते हैं इसके बारे में स्थानीय कानून लागू होते हैं। अनेक ऑस्ट्रेलियन अपने घर के पिछवाड़े में (इसे उनका बैकयार्ड कहते हैं) किसी कुत्ते, बिल्ली या पक्षी को पालते हैं।

बंदूकें और अन्य शस्त्र

ऑस्ट्रेलिया में चाकू जैसे हथियारों अथवा अग्नेय अस्त्रों को अपने पास रखना गैर-कानूनी है। यदि कोई व्यक्ति शिकार, शूटिंग के खेल, अथवा खेतों में इस्तेमाल के लिए बंदूक रखना चाहता है तो उसे लाईसेंस लेना होगा। लाईसेंस के बिना अस्त्र रखना अथवा बिना लाईसेंस की बंदूक रखना अवैध है।

अन्य कानून

कूड़ा फैलाने, प्रदूषण फैलाने अथवा बिना अनुमति के अपशिष्ट को राह लगाने अथवा अत्यधिक शोर पैदा करने के विरुद्ध भी कानून हैं।

ऑस्ट्रेलिया में मृत्यु दंड लागू नहीं होता।

सामाजिक प्रथाएं

ऑस्ट्रेलिया में ऐसी बहुत कम प्रथाएं हैं जो केवल ऑस्ट्रेलिया में लागू होती हैं। लेकिन कुछ मामलों में, उन पर कितना जोर दिया जाता है, अथवा उनकी विधि में, अन्य देशों के मुकाबले अंतर है। यदि इनके बारे में कोई संदेह है तो किसी मित्र, पड़ोसी अथवा कार्यस्थल के सहपाठी से इसके बारे में सलाह लेना बेहतर होगा।

उदाहरण के लिए अधिकांश ऑस्ट्रेलियन अपनी जान-पहचान वालों और कार्यस्थल के सहपाठियों के साथ आपेक्षिक रूप से अधिक अनौपचारिक रहते हैं। कार्यस्थल पर और मित्रों के बीच अधिकांश ऑस्ट्रेलियन एक-दूसरे को उनके पहले नाम से बुलाते हैं।

लेकिन यह औपचारिकता शारीरिक संपर्क पर लागू नहीं होती। किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते समय आम तौर पर उसके दाहिने हाथ को अपने दाहिने हाथ से मिलाते हैं। जो लोग एक दूसरे को नहीं जानते वे सामान्यतः मिलते समय चूमते नहीं हैं और न ही आलिंगन करते हैं।

नम्र व्यवहार

दूसरों से व्यवहार करते समय और सामान तथा सेवाएं लेते समय ‘Please’ (प्लीज़) और ‘thank you’ (थैंक यु) शब्द बहुत सहायक होते हैं। जब आपसे कोई पूछता है कि क्या आप कुछ लेना पसंद करेंगे, जैसे चाय का प्याला, तो यदि आप लेना चाहें तो ‘यैस प्लीज़’ अथवा केवल ‘प्लीज़’ और यदि न लेना चाहें तो ‘नो थैंक यु’ कहना नम्रता है। जब आपको कुछ दिया जाता है तो देने वाले व्यक्ति को ‘थैंक यु’ कह कर धन्यवाद देना नम्रता है।

किसी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऑस्ट्रेलियन लोग अक्सर ‘excuse me’ (एक्सक्यूज़ मी) कहते हैं और किसी से टकरा जाने पर ‘sorry’ (सॉरी) कहते हैं। यदि वे सार्वजनिक स्थानों में अथवा किसी के घर में डकार लेते हैं तो एक्सक्यूज़ मी अथवा ‘pardon me’ (पारडन मी) कहते हैं।

किसी दुकान, बैंक, सरकारी विभाग, सिनेमा अथवा किसी भी ऐसे स्थान पर जहाँ कुछ लोग किसी सेवा का उपयोग एक ही समय पर करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलियन लोग पंक्ति बाँध कर खड़े होते हैं। साधारणतया ऑस्ट्रेलियन लोग सेवा का लाभ उठाने के लिए अपनी बारी के आने की प्रतीक्षा करते हैं। यह दूसरों के प्रति आदर को दर्शाता है और सबको जो कुछ चाहिए उसे प्राप्त करने की सर्वोचित विधि है।

मीटिंगों और अन्य कहीं जाने के लिए समय पर पहुंचना महत्त्वपूर्ण है। यदि आप समझते हैं कि आपको देरी हो सकती है तो दूसरे व्यक्ति से संपर्क करके उसे बताने का प्रयत्न करें। व्यावसायिकों, जैसे कि चिकित्सक से मिलने जाने के मामलों में यह और भी अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि बिना बताए देरी से पहुंचने अथवा नियुक्त मुलाकात के लिए न जाने पर आपको पैसे देने पड़ सकते हैं।

अधिकांश ऑस्ट्रेलियन अपनी नाक साफ करने के लिए रूमाल अथवा टिशु का इस्तेमाल करते हैं न कि फुटपाथ का। यही बात थूकने पर भी लागू होती है। जब आपको छींक आती है तो अधिकांश ऑस्ट्रेलियन ‘bless you’ (ब्लैस यु) भी कहेंगे। इस वाक्यांश का कोई धार्मिक आशय नहीं है।

निजी स्वच्छता

स्वयं को और अपने परिवार तथा अन्य लोगों को बीमारियों और रोगों से बचाने का सबसे उत्कृष्ट तरीका अच्छी निजी स्वच्छता है। अधिकांश ऑस्ट्रेलियन खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले, खाँसी अथवा छींक आने के बाद, शौचालय जाने के बाद, पशुओं के संपर्क में आने के बाद अथवा किसी भी ऐसी गतिविधि के पहले और बाद में जिससे जीवाणुओं के किसी व्यक्ति पर स्थानांतरण के कारण उनके अथवा किसी अन्य व्यक्ति के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है, अपने हाथ धो लेते हैं।

किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिल कर भोजन करते समय जीवाणुओं को फैलने से रोकने के लिए आम तौर पर उपलब्ध बर्तनों के द्वारा ही भोजन को उठाया जाता है। यह बर्तन टॉंगस्, चम्मच या काँटा, चॉपस्टिकस् अथवा सलाद परोसने का चम्मच हो सकता है।

कपड़े

लोग जो कपड़े पहनते हैं वे ऑस्ट्रेलियन समाज की विविधता के भी उतने ही प्रतीक हैं जितने यहाँ की जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के। कपड़ों के बारे में कोई कानून अथवा नियम नहीं है परंतु अपने कार्य की स्थिति के अनुसार आपको कपड़े पहनने चाहिएं – अधिकांश कार्यस्थलों में पहनावे के कुछ मापदंड हैं।

कार्यस्थल से परे कपड़े व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर हैं – अनेक लोग आराम के लिए, सामाजिक अवसर के अनुसार अथवा मौसम के अनुसार कपड़े पहनते हैं। क्लबों, सिनेमाघरों व अन्य स्थानों में ये नियम होते हैं कि आप स्वच्छ, सलीकेदार कपड़े और उपयुक्त जूते पहनें।

अनेक ऑस्ट्रेलियन समुद्र तट और समुद्र के नजदीक रहते हैं। गर्म दिनों में समुद्र तट और उसके आस-पास के क्षेत्र में वे तैराकी की पोशाक अथवा बहुत कम कपड़े पहन सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि जो लोग समुद्र तट पर जाने के अथवा तैराकी के कपड़े पहनते हैं उनके नैतिक मापदंड निम्न हैं। इसका अर्थ यह है कि ऑस्ट्रेलियन लोग समुद्र तट और उसके आस-पास इस तरह की पोशाक को स्वीकार

करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कुछ राज्यों में थोड़े से समुद्र तटों को 'न्यूडिस्ट' (नग्न) समुद्र तट निर्धारित किया गया है जहाँ लोग बिना कोई कपड़े अथवा पोशाक पहने तैर सकते हैं।

अन्य देशों के लोग सांस्कृतिक रूप से उचित कपड़े पहनने का चुनाव कर सकते हैं।

निमंत्रण

यदि कोई आपको कोई दोपहर के खाने, रात के खाने, बारबीक्यू, पार्टी, विवाह, जन्मदिवस, अथवा किसी अन्य अवसर पर न्यौता देता है तो आपको आम तौर पर अपना जवाब उसी समय, बाद में पत्र द्वारा, फ़ोन द्वारा अथवा ई-मेल द्वारा दे देना चाहिए। दोपहर के भोजन को lunch (लंच), और सांयकाल के भोजन को अक्सर dinner (डिनर) कहते हैं। कुछ ऑस्ट्रेलियन सांयकाल के भोजन को tea (टी) भी कहते हैं, और इससे उनका तात्पर्य डिनर हो सकता है अथवा इसका वास्तविक अर्थ, चाय का प्याला या 'cuppa' (कपा) भी हो सकता है। यदि आपको कोई टी के लिए बुलाता है तो बुलाए जाने के समय से आप जान सकते हैं कि मेजबान ने आपको भोजन के लिए आमंत्रित किया है अथवा चाय के लिए। सायं 6 बजे (1800 बजे) के बाद टी के निमंत्रण का अर्थ अक्सर भोजन होता है।

जब आप भोजन का निमंत्रण स्वीकार करते हैं तो मेजबान को यह बता देना आम बात है कि आप क्या नहीं खा सकते। आपसे यह पूछा जा सकता है कि भोजन संबंधी आपकी कोई विशेष आवश्यकता है अथवा भोजन पर किसी प्रकार के प्रतिबंध हैं। यह कहना सही होगा कि आप वैजिटेरियन (शाकाहारी) हैं और माँस नहीं खाते अथवा आप मुसलमान या यहूदी हैं और सूअर का माँस नहीं खाते। यदि आप मदिरा नहीं पीना चाहते तो आपसे मदिरा पान की अपेक्षा नहीं की जा सकती चाहे आपके मेजबान मदिरा का सेवन कर रहे हों।

परिवारों की बदलती भूमिका

पारंपरिक ऑस्ट्रेलियन परिवार में एक पिता, एक माता और बच्चे होते हैं। दूसरे परिवार विभिन्न प्रकार के और बड़े अथवा छोटे हो सकते हैं। इनमें शामिल हैं, अनेक एक माता या पिता वाले परिवार, सौतेले और मिले-जुले परिवार, समलिंगीय जोड़े और ऐसे जोड़े जो औपचारिक रूप से विवाह किए बिना एक साथ रह रहे हैं (डी-फैक्टो संबंध)। डी-फैक्टो संबंधों को ऑस्ट्रेलिया में कानूनी मान्यता प्राप्त है।

ऑस्ट्रेलियन परिवारों के अंदर की भूमिकाएं भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। कुछ परिवारों में केवल माता ही परिवार के लिए आय कमाने वाली हो सकती है और पिता घर में रह कर बच्चों की देख-भाल कर सकता है।

ऑस्ट्रेलिया में विवाह केवल दोनों पक्षों की सहमति से हो सकता है। विवाह के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में यदि विवाह करने वालों में एक की आयु 16 अथवा 17 वर्ष है तो अदालत विवाह को स्वीकृति दे सकती है। एक ही समय पर एक से अधिक पति अथवा पत्नी रखना अवैध है।

क्या ऑस्ट्रेलियनों का कोई विशिष्ट प्रारूप है

हाल ही के वर्षों में ऑस्ट्रेलियन लोगों की पहचान और क्या ऑस्ट्रेलियन लोगों का कोई विशिष्ट प्रारूप है जिसके कुछ साधारण लक्षण अथवा खूबियाँ हैं, इन विषयों पर अत्यधिक चर्चा हुई है।

लोकप्रिय प्रारूपों की कोई कमी नहीं है और विषय को और कठिन बनाने के लिए, कभी-कभी प्रारूप एक दूसरे से उल्टे हो सकते हैं।

उदाहरण के लिए:

- ऑस्ट्रेलियन लोग समतावादी, दूसरों की उपेक्षा करने वाले और सत्ता पर गहरा संदेह करने वाले होते हैं – फिर भी वे अक्सर कानून का पालन करने वाले और परंपराओं का पालन करने वाले होते है।

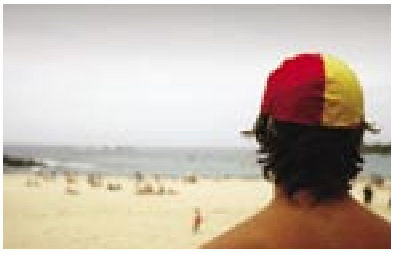

- ऑस्ट्रेलियन लोग मितभाषी होते हैं और मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों अथवा ऑस्ट्रेलियन बुश में रहते हैं – लेकिन अधिकांश शहरों में विविधता भरा जीवन जीते हैं ।
- चाहे ऑस्ट्रेलियन लोग शहर में रहें अथवा दूर-दराज़ के क्षेत्रों (बुश) में, वे दो टूक और सीधी बात करते हैं और वे जो कहते हैं उसका कोई छिपा हुआ मतलब नहीं होता ।
- ऑस्ट्रेलियन लोग सब लोगों को fair go (फ़ेयर गो – समान अवसर दिए जाने) के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं (फ़ेयर गो का अर्थ 'Australian English' (ऑस्ट्रेलियन इंगलिश) खंड में देखा जा सकता है) । पृष्ठ 33 देखें ।
- ऑस्ट्रेलियन लोग अपने मेटस् (मित्रों), जो कठिनाई में है और जो अंडरडॉग है उनका साथ देते हैं । अंडरडॉग का अर्थ है वह प्रतिस्पर्धी अथवा प्रतिद्वंदी जिसके किसी खेल अथवा मुकाबले में जीतने की आशा बहुत कम हो ।
- ऑस्ट्रेलियन लोग खेलों से बहुत प्रेम करते हैं चाहे वह खेल देखना हो अथवा उनमें भाग लेना ।

इस विषय पर भी मतभेद है कि ऑस्ट्रेलियन लोगों पर अपनी ब्रिटिश विरासत का, अथवा हाल ही के वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के अमेरिका से गहरे संबंधों का, अथवा विश्व युद्ध के बाद के युग में ऑस्ट्रेलिया में आने वाले लाखों आप्रवासियों का किस हद तक प्रभाव पड़ा है ।

कभी-कभी ऑस्ट्रेलियन लोगों को उन यूरोपियनों की तरह देखा जाता है जो उनके भौगोलिक रूप से एशिया पैसिफिक क्षेत्र में होने की वास्तविकता का सामना करने की चेष्टा कर रहे हैं । साथ ही ऑस्ट्रेलिया को अक्सर इसकी भौगोलिक स्थिति और बड़ी संख्या में इसके निवासियों की एशियन भाषाएं बोल सकने की क्षमता के कारण एशिया के गेटवे (अंदर जाने का द्वार) के रूप में भी देखा जाता है ।

सच तो यह है कि ऑस्ट्रेलियन लोगों को किसी भी अन्य स्थान के लोगों की तरह एक प्रारूप में ढालना आसान नहीं है । अनेक लोकप्रिय प्रारूपों में कुछ सच्चाई है और अधिकांश ऑस्ट्रेलियन इनमें से कुछ प्रारूपों से मेल खाते हैं । लेकिन किस प्रारूप से और किस हद तक, यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है ।

ऑस्ट्रेलियन लोगों से जुड़ी कुछ विशेषताएं, जैसे कि *मेटशिप* (मित्रता) और *फ़ेयर गो* ऐसे लक्षण हैं जिनमें विश्व भर के अनेक लोग सहभागी हैं और जिनकी वे कद्र करते हैं । यह तो स्पष्ट ही है कि दया, न्याय और मित्रों के प्रति वफ़ादारी केवल ऑस्ट्रेलियन लोगों के गुण नहीं हैं ।

इन शब्दों के बारे में जो बात बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन है वह यह है कि ये ऑस्ट्रेलिया के इतिहास और ऑस्ट्रेलियन लोगों के सोचने के तरीके में गहराई से समा चुके हैं ।

मेटशिप और फ़ेयर गो के सिद्धांतों की नींव अक्सर ऑस्ट्रेलिया के आरंभिक बसने वालों के एक अपरिचित, कठिन और प्रतिकूल वातावरण में जीने की कठिन लड़ाई से बनी; ऑस्ट्रेलियन बुश में रहने वाली बाद की अनेक पीढ़ियों के पुरुषों और स्त्रियों ने, जो बाढ़, आग और सूखे के समयों में एक-दूसरे पर निर्भर रहे और जिन्होंने एक-दूसरे की सहायता की, इन सिद्धांतों को और मजबूत किया ।

हेनरी लॉसन जिनका जन्म 1867 में ग्रेनफैल गोल्डफील्ड्स में न्यू साउथ वेल्स में हुआ था, शायद उस समय के सबसे बड़े ऑस्ट्रेलियन इतिहासकार थे, जिन्होंने मेटशिप, मानव के गौरव और ऑस्ट्रेलियन बुश में रहने वाले पुरुषों और स्त्रियों के बारे में आम भाषा में और सहानुभूति पूर्वक लिखा ।

पहले विश्व युद्ध में, जिसे कभी-कभी महान युद्ध भी कहा जाता है, और एंजैक सिपाहियों द्वारा गैलीपोली के युद्ध में ऑस्ट्रेलिया के अनुभव ने, मेटशिप और वफ़ादारी के गुणों को ऑस्ट्रेलियन लोगों के सोचने के तरीके में और भी गहराई से बिठा दिया ।

ये और आरंभिक ऑस्ट्रेलियनों से जुड़े अन्य गुण यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और मध्य-पूर्वी देशों से बाद में आ कर बसने वाले लाखों लोगों द्वारा मजबूत और समृद्ध हो कर आज भी जीवित हैं ।

हाल ही में आने वाले निवासियों ने ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति और स्वरुप को समृद्ध किया है और नए दृष्टिकोण और परंपराएं बनाने में योगदान दिया है। उनके असीम योगदान ने ऑस्ट्रेलियन जीवन के लगभग हर पहलू, व्यापार से कला तक, पाकशास्त्र से विनोदशास्त्र तक को समृद्ध बनाया है।

स्वयंसेवा – मेटशिप का वास्तविक उदाहरण

यह सर्व–विदित है कि ऑस्ट्रेलियन लोग स्वेच्छा से अवैतनिक सामाजिक और सामुदायिक काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। अठारह वर्ष से अधिक आयु के साठ लाख से अधिक ऑस्ट्रेलियन सक्रिय स्वयंसेवक हैं, जो आपात् सेवाओं, कल्याण कार्यक्रमों, पर्यावरण और सरंक्षण, धन जुटाने, प्रबंधन, शिक्षण और प्रशासन सहित विस्तृत क्षेत्रों में सहायता दे रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया के वनों में लगने वाली आग से जूझने वाले और आपातकालीन सेवाओं के अनेक अधिकारी स्वयंसेवक हैं।

एक सर्वेक्षण के अनुसार स्वयंसेवा के कारणों के बारे में 47 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे समुदाय की किसी तरह से सेवा करना चाहते हैं। दूसरे 43 प्रतिशत लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें इससे निजी संतुष्टि प्राप्त होती है।

इंटरनेट पर जानकारी के लिए

- वॉलंटियरिंग ऑस्ट्रेलिया www.volunteeringaustralia.org

ऑस्ट्रेलियन इंगलिश

वैसे तो ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय भाषा इंगलिश है, परंतु कुछ शब्द और वाक्यांश ऐसे हैं जो आम इस्तेमाल के कारण अद्वितीय रूप से ऑस्ट्रेलियन समझे जाते हैं, और इनमें से कई नए आने वालों को अपरिचित लग सकते हैं अथवा भ्रम में डाल सकते हैं।

आम बोलचाल और देशस्थ भाषा के इन शब्दों के अनेक अलग अलग उद्भव हैं। कुछ लंबे शब्दों का छोटा रूपांतरण हैं। अनेक वाक्यांश उत्तरी इंगलैंड से आने वाले आप्रवासियों द्वारा पहले से इस्तेमाल किए जाते थे पर उन्हें अब ऑस्ट्रेलियन शब्दों के रूप में अपना लिया गया है। ऑस्ट्रेलियन लोग अक्सर शब्दों को छोटा भी कर देते हैं, जैसे फुटबॉल 'footy' (फुटी) बन जाता है,टेलीविज़न 'telly' (टैली) बन जाता है और बारबीक्यू 'barbie' (बार्बी) बन जाता है।

ऑस्ट्रेलियनों के विनोद करने का आशय, जो व्यंग्य और अपमान का मिश्रण है, उसके साथ इन शब्दों के इस्तेमाल से कभी–कभी भ्रम उत्पन्न कर सकता है।

यदि आप सुनिश्चित रूप से नहीं जानते कि किसी वाक्यांश का क्या तात्पर्य है तो उसका इस्तेमाल करने वाले से इसका मतलब समझाने को कहना कोई गलत बात नहीं है।

समय–समय पर कुछ आम वाक्यांश जो आपके सुनने में आ सकते हैं वे इस प्रकार हैं:

Arvo: (आर्वो) यह दोपहर (afternoon) का संक्षिप्त रूप है 'drop by this arvo', का अर्थ है कृपया आज दोपहर को मिलने आएं।

Barbecue, BBQ, Barbie: (बार्बीक्यू, बार्बी) आम तौर पर गैस अथवा कोयले की आँच पर माँस को ग्रिल अथवा हॉटप्लेट पर घर के बाहर खुले में पकाना। मेजबान माँस को सलाद और बेलन की आकृति की डबलरोटी के साथ परोसता है। जब मेहमानों को बार्बीक्यू का न्यौता दिया जाता है तो यह पूछ लेना आम बात है कि क्या उन्हें कुछ साथ लाना होगा। कच्चे मीट की बनी सॉसेज़ को जिसे अक्सर बार्बीक्यू में पकाया जाता है snag (स्नैग) कहते हैं। यह सूअर, गाय, मुर्गे के माँस, सब्जियों अथवा अनाज से बनी हो सकती हैं।

Barrack for: (बैरक फॉर) समर्थन करना अथवा हौसला बढ़ाना (आम तौर पर किसी विशिष्ट खेल की टीम का)।

Bloke: आदमी । आम तौर पर यदि आप सहायता माँगते हैं तो आपको यह जवाब मिल सकता है 'see that bloke over there' इसका अर्थ है वहां उस आदमी से पूछें ।

Bring a plate: (ब्रिंग ए प्लेट) यदि आपको किसी पार्टी अथवा उत्सव में बुलाया जाता है और आपसे कहा जाता है 'bring a plate' तो इसका अर्थ है खाने से भरी एक तश्तरी लाएं जो आप मेजबान और अन्य मेहमानों में बाँट सकें । सामुदायिक मेल-जोल के अवसरों, जैसे विद्यालय, कार्यस्थल अथवा क्लब में यह आम बात है । यदि आप इस दुविधा में हैं कि क्या लाया जाए तो निमंत्रण देने वाले व्यक्ति से पूछ लें ।

BYO: (बी वाई ओ) यदि आपको एक ऐसा निमंत्रण मिलता है जिसमें लिखा है 'BYO' तो इसका अर्थ है अपने पेय साथ लाएं । यदि आप मदिरापान नहीं करते तो जूस, मीठे पेय, सोडा अथवा पानी ले जाना भी उचित है । कुछ रेस्तरां भी बी वाई ओ होते हैं । आप वहाँ अपनी मदिरा की बोतलें ले जा सकते हैं परंतु आम तौर पर बोतलों को खोलने, परोसने, गिलास देने और उन्हें साफ करने के लिए आपको 'corkage' कॉर्केज (इसका फ़ीस) देनी होगी ।

Cuppa: (कप्पा) चाय अथवा कॉफ़ी का प्याला 'Drop by this arvo for a cuppa' का अर्थ है कृपया आज दोपहर को मिलने आएं और हमारे साथ चाय अथवा कॉफ़ी पिएं ।

Digger: (डिग्गर) ऑस्ट्रेलियन सैनिक ।

Go for your life: (गो फ़ॉर योर लाइफ़) हाँ ऐसा ही करो ।

G'day: (गुड-डे) हैलो, आप कैसे हैं ?

Fair go: (फ़ेयर गो) बराबरी का व्यवहार । इसका अर्थ यह है कि जीवन में किसी व्यक्ति की उपलब्धियाँ उसकी योग्यताओं, काम और प्रयत्न पर आधारित हों न कि जन्म के घटित होने अथवा पक्षपात के आधार पर ।

Fortnight: (फोर्टनाईट) एक पखवाड़ा ।

No worries: (नो वरीज़) कोई परेशानी नहीं । काम अथवा निवेदन बिना किसी कष्ट अथवा आडंबर के पूरा हो जाएगा ।

Ocker: (ऑकर) एक अभद्र, अशिष्ट, असंयमित ऑस्ट्रेलियन अथवा इसका एक और मतलब भी है, ऑस्ट्रेलियन लोगों के विशिष्ट गुणों को प्रदर्शित करने वाला, जैसे विनोदशील, सहायता करने वाला और युक्तिसंपन्न ।

Shout: (शाऊट) किसी के लिए मदिरा का प्याला खरीदना । किसी मदिरालय में जब मित्रों का कोई समूह एकत्र होता है तो हर व्यक्ति के लिए ऐसा करना आम बात है । 'shout a round' अर्थात् सबके पीने के लिए मदिरा का एक-एक प्याला खरीदना । हर व्यक्ति बारी-बारी एक 'round' खरीदता है ।

To be crook: (टु बी क्रुक) बीमार अथवा रोग-ग्रस्त होना ।

ऑस्ट्रेलिया की आम बोलचाल और देशस्थ भाषा पर अनेक पुस्तकें हैं जिनमें *Macquarie Dictionary Book of Slang (मैक्वारी डिक्शनरी बुक ऑफ़ स्लैंग)* शामिल है ।

समारोह और अवकाश के दिन

ऑस्ट्रेलियन लोग हर वर्ष के कुछ दिन किसी विशेष आशय से अथवा राष्ट्रीय महत्त्व के स्मरणोत्सव के रूप में मनाते हैं ।

ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश श्रमिकों को पूरे वर्ष के दौरान वार्षिक छुट्टियों के अलावा 12 राष्ट्रीय और राज्य/राज्य-क्षेत्र के सार्वजनिक अवकाश के दिन मिलते हैं ।

इनमें से कुछ दिन सबकी छुट्टी होती है और ये सभी राज्यों और राज्य-क्षेत्रों में एक ही दिन मनाए जाते हैं। कई बार ये विशेष रूप से आयोजित घटनाओं के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं। कुछ स्थानीय अवकाश के दिन कुछ राज्यों और राज्य-क्षेत्रों में ही मनाए जाते हैं।

क्रिसमस और ईस्टर, ईसाइयों के कैलंडर के दो सबसे महत्त्वपूर्ण दिन हैं जब सारे ऑस्ट्रेलिया में सार्वजनिक अवकाश होता है। क्रिसमस का दिन हर वर्ष 25 दिसंबर को होता है जबकि ईस्टर मार्च के अंत में अथवा अप्रैल के आरंभ में हो सकता है।

बॉक्सिंग डे

बॉक्सिंग डे 26 दिसम्बर को होता है और इस दिन सार्वजनिक अवकाश होता है। कुछ लोगों का मत है कि इस दिन बॉक्सिंग मैच (मुक्केबाजी की प्रतियोगिताएं) हुआ करते थे; अथवा बक्सों (डिब्बों) में उपहार दिए जाते थे। बॉक्सिंग डे को क्रिसमस के उत्सव का ही एक हिस्सा माना जाता है।

न्यू ईयरस् डे (नव वर्ष दिवस) हर वर्ष 1 जनवरी को होता है और इस दिन सार्वजनिक अवकाश होता है। ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश लोगों के लिए वार्षिक अवकाश लेने का समय दिसंबर के मध्य से जनवरी के अंत तक होता है।

कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय तिथियाँ इस प्रकार हैं:

ऑस्ट्रेलिया डे (ऑस्ट्रेलिया दिवस)

ऑस्ट्रेलिया डे 26 जनवरी को होता है और इस दिन ऑस्ट्रेलियन लोग मिल-जुल कर 1788 में ऑस्ट्रेलिया में पहली यूरोपियन कॉलोनी की स्थापना का स्मरणोत्सव मनाते हैं। इस दिन राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक अवकाश होता है और ऑस्ट्रेलिया में नए आने वालों को विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया डे के समारोहों में भाग लेने और अन्य ऑस्ट्रेलियनों से मिलने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

एंज़ैक डे (ऑस्ट्रेलियन और न्यूज़ीलैंड सेना कोर दिवस)

एंज़ैक डे 25 अप्रैल वह दिन है जब ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूज़ीलैंड आर्मी कोर (एंजैक) के सैनिक पहले विश्व युद्ध के दौरान 1915 में गैलीपोली में उतरे। यह दिन उन लोगों का स्मरणोत्सव है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए युद्ध किया और युद्ध में शहीद हो गए। इस दिन राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक अवकाश होता है और इसे जवानों को पुष्पांजली देकर और सेना की परेड के उत्सवों से मनाया जाता है।

महारानी का जन्मदिवस

वैस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को छोड़ कर बाकी सभी राज्यों और राज्य-क्षेत्रों में महारानी का जन्म दिवस हर वर्ष जून के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है और इस दिन सार्वजनिक अवकाश होता है। वैस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इसे सितंबर अथवा अक्तूबर में मनाता है।

ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप डे (नागरिकता दिवस)

ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप डे 17 सितंबर 2001 को मनाया गया और यह *Nationality and Citizenship Act 1948 (नैशनैलिटी एंड सिटीजनशिप एक्ट 1948)* का नाम 1973 में *Australian Citizenship Act (ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप एक्ट)* रखे जाने की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। यह सभी ऑस्ट्रेलियन लोगों के लिए ऑस्ट्रेलियन नागरिकता के अर्थ और महत्त्व पर विचार करने और उन जीवन मूल्यों का महोत्सव मनाने का अवसर है जो हमें एकीकृत करते हैं। लेकिन इस दिन सार्वजनिक अवकाश नहीं होता।

मेल्बर्न कप डे

मेल्बर्न कप डे हर वर्ष नवंबर के पहले मंगलवार को होता है। मेल्बर्न कप एक विश्व-विख्यात घुड़दौड़ है। अधिकांश लोग, चाहे वे काम पर हों, विद्यालय में अथवा घर में, टेलीविज़न पर रेस देखने के लिए रुक जाते हैं। मेल्बर्न महानगर में इस दिन सार्वजनिक अवकाश होता है। बाकी स्थानों पर और विशेष रूप से कार्यस्थलों में अनेक लोग मेल्बर्न कप का उत्सव दोपहर के खाने अथवा पार्टी के द्वारा मनाते हैं।

खेल, मनोरंजन और कला

अनेक ऑस्ट्रेलियन खेलों से प्रेम करते हैं और अनेक उच्च स्तर पर भव्य उपलब्धियाँ प्राप्त किए हुए हैं। वर्ष 2004 के एथेंस ओलंपिक खेलों में कुल पदकों के आधार पर ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर रहा अर्थात अमेरिका, चीन और रूस के पीछे। वर्ष 2006 के फुटबाल वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया फाईनल की 16 टीमों में रहा।

लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन केवल उच्चतम स्तर पर ही खेलों का आनंद लेते हैं। हाल ही में किए गए एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण से पता चला है कि 15 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के 1.1 करोड़ से अधिक ऑस्ट्रेलियन सप्ताह में कम से कम एक बार व्यायाम, मनोरंजन अथवा खेलों के रूप में शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं – यानि कि लगभग 70 प्रतिशत लोग इसमें भाग लेते हैं।

सबसे अधिक लोकप्रिय 10 शारीरिक गतिविधियों में शामिल हैं पैदल चलना, तंदरुस्ती के लिए ऐरोबिक, तैराकी, साईकिल चलाना, टेनिस, गोल्फ़, दौड़ लगाना, वन में पैदल चलना, सॉकर और नैटबॉल खेलना।

अन्य लोकप्रिय खेलों मे क्रिकेट, हॉकी और स्कीईंग शामिल हैं।

ऑस्ट्रेलियन लोग रग्बी लीग, रग्बी यूनियन और Australian Rules Football (ऑस्ट्रेलियन रूल्ज़ फुटबॉल), एक अनूठा ऑस्ट्रेलियन खेल जिसका उद्‌गम पुरातन रग्बी और कैल्ट जाति की फुटबॉल से हुआ, खेलना और देखना पसंद करते हैं।

ऑस्ट्रेलिया खुले मैदान में होने वाली गतिविधियों के लिए भली-भाँति उपयुक्त है लेकिन सुरक्षा के कुछ नियम याद रखना आवश्यक है:

- समुद्र तट पर केवल उसी क्षेत्र में तैरें जहाँ सर्फ़ लाईफ़सेवर निगरानी करते हैं। सदा झंडियों के बीच में तैरें और याद रखें कि लाईफ़सेवर सभी समुद्र तटों की निगरानी नहीं करते।
- जहाँ तक संभव हो अकेले न तैरें, न अकेले मछली पकड़ें, विशेष रूप से सुनसान स्थानों में।
- टोपी पहनें, धूप का चश्मा पहनें, त्वचा के बचाव के लिए कपड़े (जैसे कमीज) पहनें, छाया में रहने की कोशिश करें और तेज धूप वाले दिनों में संरक्षक सनस्क्रीन का इस्तेमाल करके अपनी त्वचा को सूर्य की धूप में जलने और त्वचा के कैंसर से बचाएं।
- याद रहे कि जिन दिनों आग जलाने की बिल्कुल मनाही हो, उन दिनों में खुली आग और बारबीक्यू जलाना मना है।

कला का स्पंदनशील वातावरण

ऑस्ट्रेलिया में कला का स्पंदनशील वातावरण है जो देश के मूल निवासियों की सांस्कृतिक परंपराओं और आप्रवासी संस्कृतियों के समृद्ध रंग, दोनों को दर्शाता है।

हर प्रकार की चित्रीय कला और अभिनय कला के अनेक चाहने वाले हैं जिनमें फिल्में, कला, नौटंकी और संगीत शामिल हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 1.3 करोड़ अर्थात लगभग 88 प्रतिशत वयस्क ऑस्ट्रेलियन वर्ष में एक बार किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम अथवा नाटकीय आयोजन में शामिल होते हैं।

ऑस्ट्रेलिया की तीव्र साहित्यिक परंपरा यहाँ के मूल निवासियों द्वारा कहानी सुनाने के माध्यम से आरंभ हुई जो 18 वीं सदी के अन्त में आने वाले अपराधियों द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों के माध्यम से आगे बढ़ी।

एक ऑस्ट्रेलियन ने साहित्य में नोबल पुरस्कार प्राप्त किया है जो 1973 में उपन्यासकार पैट्रिक वाईट को मिला था। बीसवीं सदी के अन्य लोकप्रिय ऑस्ट्रेलियन उपन्यासकारों में पीटर केयरी, ब्राईस कर्टीने, कोलीन मैकल्लो, मोरिस वैस्ट और टिम विंटन शामिल हैं।

इंटरनेट पर जानकारी के लिए

- डिपार्टमेंट ऑफ़ कम्युनिकेशनस्, इन्फॉर्मेशन टैक्नोलोजी एंड दी आर्टस् www.dcita.gov.au
- ऑस्ट्रेलिया कौंसिल www.ozco.gov.au
- ऑस्ट्रेलियन स्पोर्टस् कमीशन www.ausport.gov.au

विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियाँ पाने और नवीनता लाने वाले लोग

विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियाँ पाने और नवीनता लाने में भी ऑस्ट्रेलियन लोगों का सशक्त रिकॉर्ड रहा है, विशेष रूप से चिकित्सा विज्ञान, तकनीकी, कृषि, खनन और औद्योगिक निर्माण के क्षेत्रों में ।

ऑस्ट्रेलिया में पहले-पहल नवीनता लाने वाले लोग थे ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी जिन्होंने विश्व के सबसे पहले पत्थर के औजारों में से कुछ का, बूमरैंग (एक विशेष आकृति की लकड़ी जो सही ढंग से फेंके जाने पर वापस फेंकने वाले के पास लौट आती है) और वूमरा (भाला फेंकने का औजार) का निर्माण किया ।

नवीनता लाने के हाल ही के उदाहरणों में शामिल हैं पोलीमर के बने करेंसी नोटों का विकास जिनमें विशिष्ट सुरक्षा के आयाम निहित हैं और जो आम नोटों से चार गुना अधिक समय तक चलते हैं, तथा पौधों के एक ऐसे जीन की खोज जो विश्व की फसल की उपज बढ़ा सकती है । ऑस्ट्रेलियन लोग चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियाँ प्राप्त करने और विस्फोटित न हुए गोला-बारूद और जमीन में गड़ी बारूदी सुरंगों का पता लगाने की प्रौद्योगिकी के विकास में भी अग्रणी हैं ।

हाल ही की चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों में रिलेन्जा, विश्व की पहली इन्फलुएंजा रोधक दवा का विकास, स्कैनिंग द्वारा कैंसर देने वाले सूरज के धब्बों का पता लगाना और गर्भाशय-ग्रीवा के कैंसर का टीका शामिल हैं ।

वैज्ञानिक और चिकित्सा-शास्त्र की उपलब्धियों के लिए नौ ऑस्ट्रेलियन नोबल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं । हाल ही में प्रोफ़ैसर बैरी मार्शल और डॉक्टर रॉबिन वारन को पेट में नासूर (अल्सर) और जठरशोथ पैदा करने वाले जीवाणुओं की खोज करने के लिए 2005 का नोबल पुरस्कार दिया गया । सन् 1996 में यह पुरस्कार पीटर डोहर्टी को उनके प्रतिरक्षण विज्ञान के क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए मिला था ।

हर वर्ष ऑस्ट्रेलिया दिवस पर एक व्यक्ति को 'ऑस्ट्रेलियन ऑफ़ दी ईयर' घोषित किया जाता है । वर्ष 2005, 2006 और 2007 के सभी 'ऑस्ट्रेलियन ऑफ़ दी ईयर' वैज्ञानिक थे । वर्ष 2005 के लिए यह पुरस्कार डॉक्टर फियोना वुड को दिया गया जिन्होंने जल गए व्यक्तियों के लिए एक अनूठी छिड़की जा सकने वाली त्वचा का विकास किया । वर्ष 2006 के लिए यह पुरस्कार प्रोफ़ैसर इयन फ्रेज़र को दिया गया जिन्होंने गर्भाशय-ग्रीवा के कैंसर के टीके का विकास किया था और 2007 में यह पुरस्कार सुविख्यात पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफ़ैसर टिम फ्लैनरी को दिया गया ।

डॉक्टर वुड और प्रोफ़ैसर फ्रेज़र दोनों ब्रिटेन से आए हुए आप्रवासी हैं । प्रोफ़ैसर फ्रेज़र के साथी आविष्कारक स्वर्गीय डॉक्टर जियान झाऊ थे जो अपनी मृत्यु से पहले ऑस्ट्रेलियन नागरिक बन गए थे ।

इंटरनेट पर जानकारी के लिए

- डिपार्टमेंट ऑफ़ एजुकेशन, साईंस एंड ट्रेनिंग www.dest.gov.au
- बैकिंग ऑस्ट्रेलियाज़ एबिलिटी www.innovation.gov.au
- कॉमनवेल्थ साईंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ओर्गेनाईज़ेशन www.csiro.au

रोज़गार और काम करने का वातावरण

आॅस्ट्रेलियन श्रम बाजार में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा हो सकती है। नए आने वालों को आॅस्ट्रेलिया में कितनी जल्दी काम मिलेगा यह आर्थिक घटकों, उनकी योग्यताओं और कुशलताओं, वे किस प्रकार का काम ढूंढ रहे हैं और देश के विभिन्न भागों में कुछ प्रकार के काम की उपलब्धता पर प्रभाव डालने वाली विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

आॅस्ट्रेलिया के लिए प्रस्थान करने से पहले आप्रवासियों को काम प्राप्त करने की संभावनाओं के बारे में पता कर लेना चाहिए और जिस तरह का काम वे करना चाहते हैं उसके लिए कोई विशेष शर्तें अथवा अपेक्षाएं तो लागू नहीं होती। आॅस्ट्रेलिया में अनेक रोज़गारों के लिए आवेदक का राज्य अथवा राज्य–क्षेत्र के प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण अथवा लाईसेंस प्राप्त करने की योग्यता पूरी करना आवश्यक है और/या व्यवसायिक अथवा औद्योगिक संगठन की सदस्यता का पात्र होना आवश्यक है।

आॅस्ट्रेलिया में कामगारों के वेतन और कार्य करने की शर्तें निम्नलिखित विधियों द्वारा तय की जा सकती हैः

- किसी एवार्ड के द्वारा
- किसी कानूनी समझौते के द्वारा (आॅस्ट्रेलियन वर्क–प्लेस एग्रीमैंट अथवा कलैक्टिव एग्रीमैंट) अथवा
- परंपरागत समझौते के द्वारा (काॅमन ला एग्रीमैंट)

आॅस्ट्रेलिया में सभी नौकरियाँ और पेशे पुरुषों और स्त्रियों के लिए उपलब्ध हैं। कामगारों को लिंग, नस्ल, अशक्तता, धर्म और यौन संबंधी रुचियों के आधार पर अनुचित बर्ताव और भेद–भाव से बचाने के लिए कानून लागू हैं। ईक्वल एंप्लायमेंट ओप्पोरच्यूनिटीज़ (रोज़गार के समान अवसर) कानून के अंतर्गत यह आवश्यक है कि कार्यस्थलों में अच्छा पद प्राप्त करने, पदोन्नति और प्रशिक्षण के अवसर व्यक्ति की योग्यता, कुशलताओं, और अनुभव के आधार पर आधारित हों न कि किसी को प्राथमिकता देने अथवा भेद–भाव के आधार पर।

आॅस्ट्रेलियन कानून के अंतर्गत कामगार किसी ट्रेड यूनियन में शामिल होने (अथवा शामिल न होने) का चुनाव कर सकते हैं।

यदि आप विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त विशेषज्ञ और आॅस्ट्रेलिया के स्थायी निवासी हैं तो नैशनल आॅफ़िस आॅफ़ ओवरसीज़ स्किल रिकोग्निशन (नूज़र) आपकी सहायता कर सकता है।

रोज़गार और कुशलताओं की मान्यता संबंधी विशिष्ट जानकारी निम्नलिखित वेबसाईटों पर उपलब्ध हैः

- रोज़गार प्राप्ति की संभावनाएं, आॅस्ट्रेलिया में किन कर्मियों की कमी है और आप क्या कर सकते हैं www.jobsearch.gov.au
- आॅस्ट्रेलियन कार्यस्थल www.workplace.gov.au
- निपुण कर्मियों के लिए आप्रवासन www.skilledmigrant.gov.au
- पेशेवर योग्यताओं की मान्यता www.workplace.gov.au/tra
- ए ई आई–नूज़र www.aei.dest.gov.au.

कर देना

सभी आॅस्ट्रेलियनों को अपनी आय पर कर देना पड़ता है जब उनकी वार्षिक आय एक निर्धारित राशि से अधिक होती है। कर योग्य आय में वेतन, व्यापार की कमाई, बैंक में जमा राशि अथवा अन्य पूंजी निवेश पर प्राप्त होने वाला ब्याज शामिल है।

अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमत आप देते हैं उसमें थोड़ा सा कर शामिल होता है। इसे Goods and Services Tax (गुडस् एंड सर्विसिज़ टैक्स – जी एस टी) कहते हैं।

ऑस्ट्रेलियन सरकार द्वारा एकत्र किए गए करों का इस्तेमाल कल्याण सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा सेनाओं और आधारतंत्र, जैसे कि मुख्य सड़कें प्रदान करने के लिए किया जाता है।

राज्य और राज्य-क्षेत्र भी कुछ लेन-देन की कार्रवाईयों और सेवाओं पर कर एकत्र करते हैं (इन्हें stamp duties स्टैम्प ड्यूटीज़ कहते हैं)। यह राशि राज्यों और राज्य-क्षेत्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और आधारतंत्र, जैसे कि पुलिस बल, अस्पताल और राज्यों की तथा स्थानीय सड़कों पर खर्च की जाती है।

ऑस्ट्रेलिया में कर का वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। ऑस्ट्रेलियन कानून के अंतर्गत अधिकांश लोगों को हर वर्ष एक कर चालान दाखिल करना होता है जिसमें सभी स्रोतों से प्राप्त हुई सारी आय और दिए गए कर की जानकारी देनी होती है। अधिकांश मामलों में नियोक्ताओं द्वारा वेतन के हर भुगतान में से कर की राशि काट कर Australian Taxation Office (ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफ़िस – ए टी ओ) में जमा कर दी जाती है।

भविष्यनिधि (सुपरएनुएशन)

सुपरएनुएशन बचत करने का एक कार्यक्रम है जो कामगारों को सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के लिए धन जुटाने में सहायता देता है। ऑस्ट्रेलिया में कार्यरत लगभग सभी व्यक्तियों को किसी सुपरएनुएशन फ़ंड का सदस्य बनना पड़ता है और कानून के अंतर्गत नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों के सुपरएनुएशन फ़ंड में योगदान देना पड़ता है। इसे Employer Superannuation Guarantee (एम्पलॉयर सुपरएनुएशन गारंटी) योगदान कहते हैं।

सुपरएनुएशन और कर देने के बारे में अधिक जानकारी ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफ़िस से उपलब्ध है।

टेलीफ़ोन : 132 861

इंटरनेट पर : www.ato.gov.au

आवास

कहीं भी स्थानांतरण की लागत सदा अधिक होती है। ऑस्ट्रेलिया में आने, अपने घर का सामान लाने और नया घर बसाने की लागत बहुत ज़्यादा है।

मकानों और एपार्टमैंटों (ऑस्ट्रेलिया में इन्हें अक्सर यूनिट अथवा फ्लैट कहा जाता है) की लागत आपेक्षिक रूप से अधिक है, विशेष रूप से सिडनी, पर्थ, मेल्बर्न और कैनबरा में।

आम तौर पर मकान अथवा एपार्टमैंट की खरीद अथवा उन्हें किराए पर लेना लाईसेंस प्राप्त रीअल इस्टेट एजेंट के माध्यम से होता है। हालाँकि संपत्ति निजी तौर पर भी खरीदी, बेची अथवा किराए पर ली जा सकती है, परंतु ऐसा करने से पहले वकील की सलाह लेना समझदारी होगा।

बिकाऊ और किराए पर उपलब्ध संपत्ति के विज्ञापन दैनिक समाचार-पत्रों में आम तौर पर शनिवार को छपते हैं और ये अनेक इंटरनेट वेबसाईटों अथवा इस्टेट एजेंटों के द्वारा भी उपलब्ध होते हैं।

आम तौर पर किराए पर मकान लेने के लिए एक महीने के किराए की राशि बांड के रूप में और एक महीने का किराया पेशगी देना होता है। जब किराएदार मकान खाली करता है तो अक्सर बांड की राशि आवश्यकतानुसार उसमें से मरम्मत और सफ़ाई की कीमत काट कर वापस कर दी जाती है।

सामाजिक सुरक्षा

Centrelink सेंटरलिंक आॅस्ट्रेलियन सरकार का एक निकाय है जो आॅस्ट्रेलियन समुदाय को कई तरह की सेवाएं और भुगतान प्रदान करता है। इनमें कम आय वाले लोगों, सेवा-निवृत्त लोगों, विकलांगों, रोज़गार ढूंढ रहे लोगों, अकेले अभिभावकों, दूसरों की देख-भाल करने वालों तथा अन्य अनेक लोगों की सहायना करना शामिल है। कोई ग्राहक किन भुगतानों और सेवाओं को पाने का पात्र है, यह उसकी व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

आॅस्ट्रेलियन सरकार का यह मानना है कि सहायता का सबसे उत्कृष्ट तरीका वैतनिक काम का दिया जाना है। सेंटरलिंक लोगों का उन सहयोगी सेवाओं से संपर्क करवा देता है जो उन्हें काम ढूंढने में सहायता दे सकती हैं और जो लोग अपनी विशेष परिस्थितियों के कारण काम करने में असमर्थ हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करता है। सेंटरलिंक से भुगतान प्राप्त करने वाले सक्षम लोगों के लिए काम ढूंढना अथवा भविष्य में काम प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने कौशल बढ़ाना आवश्यक हो सकता है।

शरणार्थी और मानवीय आधार पर आॅस्ट्रेलिया में आने वाले लोग आम तौर पर सेंटरलिंक की सभी सेवाओं और कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतया अन्य नए बसने वाले लोगों के लिए सेंटरलिंक की अधिकांश सहायताओं को पाने के लिए आॅस्ट्रेलिया में स्थायी निवासी वीज़ा पर दो वर्ष तक रहना आवश्यक है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास इतने समय तक अपने और अपने ऊपर आश्रित लोगों के जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन है। प्रतीक्षा का समय आवश्यक सहायता और उनकी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कम अथवा अधिक हो सकता है।

कुछ नए आप्रवासियों को सीमित सहायता उपलब्ध हो सकती है जैसे कि नौकरी ढूंढने में सहायता और बच्चों को पालने में मदद देने के लिए फ़ैमिली असिस्टेंस पेमैंट (पारिवारिक सहायता के लिए भुगतान)। परिवारों की सहायता के बारे में अधिक जानकारी आॅस्ट्रेलियन सरकार के Family Assistance Office (फ़ैमिली असिस्टेंस आॅफ़िस) से उपलब्ध है।

नए आप्रवासियों को अपनी संभावित हकदारी और उपलब्ध सहायना, जैसे कि नौकरी ढूंढने में सहायता, के बारे में पता लगाने के लिए आॅस्ट्रेलिया में आने के बाद जितनी जल्दी संभव हो, सेंटरलिंक और फ़ैमिली असिस्टेंस आॅफ़िस से संपर्क करना चाहिए।

संपर्क की जानकारी:

सेंटरलिंक	13 2850
इंटरनेट पर :	www.centrelink.gov.au
फ़ैमिली असिस्टेंस आॅफ़िस	13 6150
इंटरनेट पर :	www.familyassist.gov.au
अन्य भाषाएं (अंग्रेज़ी के अलावा)	13 1202

अस्पताल और चिकित्सा के खर्चे

आॅस्ट्रेलियन सरकार अस्पताल और चिकित्सा के बुनियादी खर्चों में Medicare Australia (मैडिकेयर आॅस्ट्रेलिया) नामक कार्यक्रम के द्वारा सहायता प्रदान करती है। सरकार Pharmaceutical Benefits Scheme (फार्मास्यूटीकल बैनिफिटस् स्कीम – पी बी एस) के अन्तर्गत मैडिकेयर के लाभार्थियों के लिए अधिकांश दवाओं की कीमत में भी छूट देती है। नए आप्रवासियों को मैडिकेयर कार्यालय में अपना पासपोर्ट, यात्रा के कागज़ात और वीज़ा की जानकारी ले जा कर मैडिकेयर कार्यक्रम में नामांकन के लिए अपनी पात्रता जाँच लेनी चाहिए। मैडिकेयर की वेबसाईट (नीचे देखें) पर एक सूचना किट का अनुवाद अनेक भाषाओं मे उपलब्ध है।

अधिकांश टैम्प्रेरी वीज़ा धारक मैडिकेयर कार्यक्रम में नामांकन के पात्र नहीं होते लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, उदाहरण के लिए जिन टैम्प्रेरी वीज़ा धारकों ने स्थायी वीज़ा का आवेदन दे दिया है और जो आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं।

संपर्क की जानकारी

टेलीफ़ोन : 13 2011

इंटरनेट पर : www.medicareaustralia.gov.au

इसके अलावा प्राईवेट स्वास्थ्य बीमा योजनाएं भी हैं जो उन चिकित्सा सेवाओं की कीमत में सहायता देती हैं जो मैडिकेयर में शामिल नहीं हैं जैसे कि प्राईवेट अस्पताल में चिकित्सा, दाँतों अथवा आँखों की देख-भाल या एंबुलैंस की सेवा।

प्राईवेट स्वास्थ्य बीमा संबंधी जानकारी

ई-मेल : privatehealth@health.gov.au

इंटरनेट पर : www.health.gov.au/internet/wcms/publishing.nsf/Content/private-1

इंगलिश भाषा की कक्षाएं

अपने नए समाज में सफलता पूर्वक बसने और अपने व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में एक नया बसने वाला व्यक्ति जो कदम उठा सकता है, आस्ट्रेलियन सरकार इंगलिश सीखने को उन पहले और महत्त्वपूर्ण कदमों में से एक मानती है। यदि आपका इंगलिश का ज्ञान 'कामचलाऊ' से कम है तो आप Adult Migrant English Programme (एडल्ट माईग्रेंट इंगलिश प्रोग्राम – ए एम ई पी) के अंतर्गत निःशुल्क इंगलिश की कक्षाओं के पात्र हो सकते हैं।

अपनी पात्रता और स्थानीय ए एम ई पी सेवा प्रदायक के बारे में अधिक जानकारी के लिए आस्ट्रेलिया पहुंचने पर डिपार्टमेंट आँफ़ इम्मिग्रेशन एंड सिटिज़नशिप की सूचना सेवा को संपर्क करें। कृपया नोट करें कि पात्र होने पर यदि आप आस्ट्रेलिया में हैं तो आपको स्थायी निवास प्राप्त करने के तीन माह के अंदर और यदि आप विदेश में हैं तो आस्ट्रेलिया पहुंचने के तीन माह के अंदर इंगलिश की कक्षाओं के लिए पंजीकरण करवाना होगा।

संपर्क की जानकारीः

टेलीफ़ोनः 131 881

इंटरनेट परः www.immi.gov.au/amep.

इंगलिश भाषा सिखाने के आस्ट्रेलियन सरकार के अन्य कार्यक्रम

आस्ट्रेलियन सरकार के इंगलिश भाषा सिखाने के तीन अन्य कार्यक्रम हैं और ये सभी Department of Education, Science and Training (डिपार्टमेंट आँफ़ ऐजुकेशन, साईंस एंड ट्रेनिंग) द्वारा चलाए जाते हैं। इनके नाम हैं Workplace English Language and Literacy programme (वर्कप्लेस इंगलिश लैंगुएज एंड लिट्रेसी प्रोग्राम – वैल), जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए Language, Literacy and Numeracy Programme (लैंगुएज लिट्रेसी एंड न्यूमरेसी प्रोग्राम – एल एल एन पी) और विद्यालय जाने की उम्र के बच्चों के लिए English as a second language – New Arrivals (इंगलिश एज़ ए सैकंड लैंगुएज – न्यू एराईवलस्, ई एस एल-एन ए)। अधिक जानकारी के लिए www.dest.gov.au पर देखें।

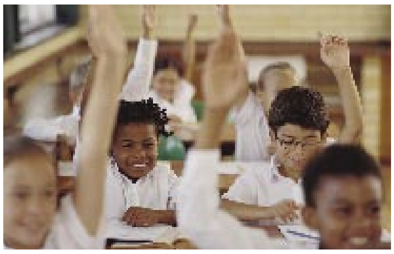

दुभाषिए और अनुवाद संबंधी सहायता

दुभाषिए की सहायता Translating and Interpreting Service National (ट्रांसलेटिंग एंड इंटरप्रैटिंग सर्विस नैशनल – टिस नैशनल) से 131 450 पर उपलब्ध है (आॅस्ट्रेलिया में कहीं से भी फ़ोन करने पर स्थानीय काॅल की कीमत)। टिस नैशनल अपनी दुभाषिया सेवा सप्ताह के हर दिन 24 घंटे प्रदान करती है।

जो आॅस्ट्रेलियन निवासी और नागरिक इसके पात्र हैं, उन्हें आॅस्ट्रेलिया में बसने संबंधी निजी दस्तावेज़ों का इंगलिश भाषा में अनुवादित सार भी निःशुल्क उपलब्ध है।

इंटरनेट पर जानकारी

- www.immi.gov.au/living-in-australia/help-with-english/learn-english/client/translation_help.htm

शिक्षा

आॅस्ट्रेलियन कानून के अंतगर्त आम तौर पर पाँच से 15 वर्ष के बच्चों के लिए विद्यालय जाना अनिवार्य है, लेकिन कुछ राज्यों अथवा राज्य-क्षेत्रों में यह आयु थोड़ी भिन्न हो सकती है। सरकारी विद्यालयों में सरकार निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है (टैम्प्रेरी वीज़ा धारक विद्यार्थियों को विद्यालय की पूरी फ़ीस देनी पड़ सकती है)। अनेक विद्यार्थी चर्च संस्थानों और अन्य गुटों द्वारा चलाए जाने वाले प्राईवेट विद्यालयों में भी जाते हैं लेकिन इन विद्यार्थियों को इन विद्यालयों की फ़ीस देनी पड़ती है।

आॅस्ट्रेलिया का शिक्षा तंत्र सब लोगों के लिए उपलब्ध है। यह हर उम्र और योग्यता के लोगों को पढ़ने का अवसर प्रदान करता है।

सरकारी विद्यालय राज्यों / राज्य-क्षेत्रों की सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं और उनमें नामांकन की जानकारी राज्यों / राज्य-क्षेत्रों के शिक्षा विभागों अथवा स्थानीय नज़दीकी विद्यालयों में उपलब्ध है।

उच्च शिक्षा के लिए दो तरह के कार्यक्रम हैं: वे जो संस्थानों और उद्योग द्वारा व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वी ई टी) के क्षेत्र में उपलब्ध करवाए जाते हैं, और वे जो विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। उच्च शिक्षा के इन कार्यक्रमों में प्रवेश आवेदक के वीज़ा की शर्तों पर निर्भर हो सकता है।

कुछ मामलों में आॅस्ट्रेलियन सरकार उच्च शिक्षा की सीटों (इन्हे काॅमनवेल्थ सप्पोर्टिड प्लेसिज़ कहते हैं) के लिए खर्चे का अधिकांश भाग वहन करती है और बाकी खर्च विद्यार्थी वहन करते हैं। उच्च शिक्षा पाने वाले विद्यार्थी जो काॅमनवेल्थ सप्पोर्टिड प्लेसिज़ के पात्र हैं Higher Education Contributory Scheme (हायर ऐजुकेशन कंट्रीब्यूटरी स्कीम-हैक्स) अथवा Higher Education Loan Programme (हायर ऐजुकेशन लोन प्रोग्राम-हैल्प) के लिए भी आवेदन दे सकते हैं। हैक्स-हैल्प लोन (ऋण) विद्यार्थी द्वारा वहन किए जाने वाले खर्चे को पूर्णतया अथवा आँशिक रूप से पूरा करता है।

और जानकारी इंटरनेट पर:

- डिपार्टमेंट आॅफ़ एजुकेशन, साईंस एंड ट्रेनिंग www.dest.gov.au
- गोईंग टु यूनिवर्सिटी www.goingtouni.gov.au

गाड़ी चलाने के लाईसैन्स

वाहन चालक लाईसैन्स राज्यों और राज्य-क्षेत्रों की सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं और आम तौर पर आवेदक को एक ज्ञान की परीक्षा, एक वाहन चलाने की व्यवहारिक परीक्षा और नेत्रों की जाँच करवानी पड़ती है। कोई भी व्यक्ति वाहन चलाने के मान्य लाईसैन्स के बिना गाड़ी नहीं चला सकता।

स्थायी निवास के वीज़ा के धारक ऑस्ट्रेलिया आने के बाद तीन माह तक गाड़ी चला सकते हैं बशर्ते कि उनके पास किसी अन्य देश का वैध लाईसैन्स इंगलिश में हो (अथवा उसका अधिकृत इंगलिश अनुवाद साथ में हो)। इसके बाद उन्हें उचित ऑस्ट्रेलियन वाहन चालक लाईसैन्स की आवश्यकता पड़ेगी।

संपर्क की महत्त्वपूर्ण जानकारी

- जीवन के संकट की आपात् स्थिति (आग, पुलिस, एंबुलैंस) टेलीफ़ोन : 000
- ट्रांसलेटिंग एंड इंटरप्रैटिंग सर्विस नैशनल (टिस नैशनल) टेलीफ़ोन : 131 450
- डिपार्टमेंट ऑफ़ इम्मिग्रेशन एंड सिटिज़नशिप (डी आई ए सी) टेलीफ़ोन : 131 881
- ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वेबसाईट पोर्टल – www.australia.gov.au
- 'लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया' वेब पृष्ठ – www.immi.gov.au/living-in-australia/index.htm
- '*बिगिनिंग ए लाईफ़ इन ऑस्ट्रेलिया*' पुस्तिकाएं – www.immi.gov.au/living-in-australia/settle-in-australia/beginning-life/index.htm

ऑस्ट्रेलियन नागरिक बनना

ऑस्ट्रेलियन सरकार ऐसे सभी स्थायी निवासियों को जो नागरिकता के पात्र हैं, ऑस्ट्रेलिया का नागरिक बनने का आवेदन देने के लिए भरपूर प्रोत्साहन देती है।

ऑस्ट्रेलियन नागरिक बनने का चुनाव करके आप ऑस्ट्रेलिया और इसके लोगों के प्रति अपनी निजी वफ़ादारी और वचनबद्धता का प्रदर्शन करते हैं। एक प्रकार से यह आप्रवासन की यात्रा और ऑस्ट्रेलिया में अपना घर बसाने का अंतिम कदम है।

हालाँकि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले सभी स्थायी निवासियों को बराबर अवसर प्राप्त होते हैं, ऑस्ट्रेलियन नागरिक बनने से ऑस्ट्रेलियन समाज की पूरी और औपचारिक सदस्यता प्राप्त होती है। इससे लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने, वोट देने, पार्लियामेंट के लिए चुनाव लड़ने और सरकारी पदों में काम करने के अवसरों के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के लिए अधिक प्रभावशाली योगदान दे सकते हैं।

ऑस्ट्रेलियन नागरिकता एकीकृत करने वाला वह बल है जिस पर हमारा राष्ट्र बना है।

ऑस्ट्रेलियन नागरिकता के साथ कुछ विशेषाधिकार और जिम्मेदारियाँ जुड़ी हैं।

नागरिकता के विशेषाधिकार

ऑस्ट्रेलिया के सभी नागरिकों को निम्नलिखित विशेषाधिकार प्राप्त हैं:

- ऑस्ट्रेलिया की सरकार चुनने के लिए मतदान देना
- पार्लियामेंट (संसद) के लिए चुनाव लड़ना
- ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट के लिए आवेदन देना और बिना रोक-टोक के ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करना
- विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों का वंश के आधार पर ऑस्ट्रेलियन नागरिकता के लिए पंजीकरण करवाना
- विदेश में होने पर ऑस्ट्रेलियन दूतावास के प्रतिनिधियों से पूर्ण दूतावासीय सहायता प्राप्त करना
- ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स (सुरक्षा सेनाओं) और ऑस्ट्रेलियन पब्लिक सर्विस (लोक सेवा) में सब प्रकार की नौकरियों का अवसर प्राप्त करना।

जिम्मेदारियाँ

ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता से निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ जुड़ी हैं:

- संघीय, राज्यों और राज्य-क्षेत्रों के चुनावों और जनमत-संग्रह* में वोट देना
- जूरी में सेवा के लिए बुलाए जाने पर शामिल होना
- आवश्यकता पड़ने पर ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा करना (उन्हीं अधिकारों और छूटों के अन्तर्गत जो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए नागरिकों पर लागू होते हैं)।

**जनमत-संग्रह का अर्थ है कि संविधान में प्रस्तावित संशोधन संबंधी कानून के लिए मतदाताओं की स्वीकृति*

अधिकांश स्थायी निवासियों के लिए ऑस्ट्रेलियन नागरिक बनने के लिए पहला कदम है ऑस्ट्रेलियन नागरिकता की परीक्षा उत्तीर्ण करना। परीक्षा की तैयारी करने के लिए अभ्यर्थियों को नागरिकता के लिए संसाधन पुस्तिका *Becoming an Australian citizen (ऑस्ट्रेलियन नागरिक बनना)* पढ़नी चाहिए जो नीचे दी गई वेबसाईट पर उपलब्ध है। जब वे परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं और उनका नागरिकता का आवेदन मंजूर हो जाता है तो उन्हें नागरिकता के एक सार्वजनिक समारोह में निष्ठा की यह शपथ लेनी होती है:

'From this time forward, under God,
I pledge my loyalty to Australia and its people
Whose democratic beliefs I share,
Whose rights and liberties I respect, and
Whose laws I will uphold and obey'.*

*People may choose whether or not to use the words 'under God'.

'परमात्मा को उपस्थित समझ कर वर्तमान समय से
मैं ऑस्ट्रेलिया और इसके निवासियों के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेता / लेती हूँ
जिसकी प्रजातांत्रिक मान्यताओं में मैं सहभागी हूँ,
जिसके अधिकारों और स्वच्छंदताओं का मैं आदर करता / करती हूँ और
जिसके कानूनों का मैं अनुमोदन और पालन करूँगा / करूँगी'।*

* लोग 'परमात्मा को उपस्थित समझ कर' शब्दों के इस्तेमाल करने अथवा न करने का चुनाव कर सकते हैं।

सभी संस्कृतियों और धर्मों के ऑस्ट्रेलियन कानून के दायरे में और समाज में एकजुट रहते हुए अपनी परंपराओं और धारणाओं का पालन कर सकते हैं।

ऑस्ट्रेलियन नागरिक बनने का अर्थ है अपनी निष्ठा ऑस्ट्रेलिया के प्रति समर्पित करना, अन्य सभी ऑस्ट्रेलियन लोगों के साथ मिल कर एक मजबूत, एकीकृत और सुसंगत समाज की रचना करना और साथ ही अपनी संस्कृति से ऑस्ट्रेलिया को समृद्ध बनाना।

ऑस्ट्रेलियन नागरिक कैसे बनें इसके बारे में और जानकारी आप ऑस्ट्रेलियन नागरिकता की वेबसाईट से अथवा सिटिज़नशिप सूचना सेवा से प्राप्त कर सकते हैं।

और जानकारी इंटरनेट पर

- www.citizenship.gov.au पर देखें अथवा 131 880 पर फ़ोन करें।